उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट,बीकानेर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अप्रेल 2018–मार्च 2019

उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट

उरमूल भवन ,रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, बीकानेर

फोन नम्बर : 0151–2523093, **Email. : mail@urmul.org**

कार्यक्रम विवरण

क.स.	विषय	पेज नम्बर
1.	राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना,NDP-I NDDB-World Bank	1–3
2.	चाइल्ड हैल्प लाइन–1098 Child Line India Foundation	4–5
3.	रेलवे स्टेशन बाल सहायता केन्द्र–1098 Child Line India Foundation	6–7
4.	किशोर एवं किशोरियों के विकास अवसर हेतु अभियान एवं पैरवी UNICEF	8–12
5.	गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण Save the Children Fund-SCF	13–16
6.	राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम Sightsavers	17–19
7.	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र Govt.of Rajasthan	20
8.	पश्चिमी भारत में ई–कचरा प्रबन्धन IFC & KARO Sambhav	21–22
9.	शादी : बच्चों का खेल नहीं Save the Children Fund-SCF	23–26
10.	अपेक्षित जानकारी के माध्यम से समझ सशक्तिकरण परियोजना Global Giving	27
11.	उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम USHA International	28
12.	कशीदाकारी क्षमतावधर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम CAF-Charities Aid Foundation	29–30
13.	मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम CAF-Charities Aid Foundation	31–34
14.	कैमल मिल्क सर्वे कार्यक्रम Sahjeevan Trust	35–36
15.	स्वास्थ्य एवं पोषण पहल कार्यक्रम Ashoka Innovators	37
16.	गर्ल्स नोट ब्राइड्स–राजस्थान GNB	38
17.	आशा किरण केन्द्र संचालन कार्यक्रम RILM & CAF	39–40
18.	ई–शक्ति परियोजना NABARD	41
19.	स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिकेंज परियोजना NABARD	42

राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना,NDP-I

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिला

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2013

वितीय सहयोग : विश्व बैंक ,भारत सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना–1

सहयोगी संस्थाएं :
- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड
- वेटरनरी कॉलेज
- राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जयपुर
- सीमन स्टेशन, बस्सी

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

परियोजना के मुख्य उद्देश्य :

- राठी नस्ल की गायों का संरक्षण एवं बढावा देना।
- कृत्रिम वीर्यदान के लिए पशुपालको व किसाानो को प्रोत्साहित करना।
- प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढाना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो का उत्पादन करना।
- बिना नस्ल की गायों को राठी नस्ल के सांड द्वारा प्रजनन करके नस्ल सुधारना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो को सीमन बैंक को उपलब्ध करवाना।
- पषुपालको को न्यूनतम राशि पर राठी नस्ल कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- पशुपालको के पशुओं को उतम गुणवता के राठी सॉड के बीज से कृत्रिम गर्भाधान करवाना।
- पशुपालकों के द्वार पर गायों की निःशुल्क जॉच करना व परामर्श देना।
- गांव स्तर पर निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

परियोजना की मुख्य गतिविधियां :

- चयनित व सर्वेकृत गांवो में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना व कार्यकर्ता का चयन।
- कृत्रिम गर्भाधान के लिय चयनित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाना।
- कृत्रिम गर्भाधान करना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल की गायों का दुग्ध मापन।
- ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन।
- बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन।
- प्रचार प्रसार शिविरो का आयोजन।
- ग्राम स्तरीय कॉफ रैली का आयोजन।
- कॉफ रियेरिंग स्टेशन की स्थापना एवं संचालन।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांड का संकलन एवं परवरिश।
- परियोजना प्रबन्धन समिति की बैठक का आयोजन।
- पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन।

परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण : अप्रेल 2018–मार्च 2019

क.स.	गतिविधि	संख्या
1.	परियोजना में सम्मलित गांव	06
2.	परियोजना के तहत सर्वे किये गये गांव	10
3.	संकुल	01
4.	परियोजना समन्वयक	01
5.	क्षेत्रीय समन्वयक	01
6.	पशु चिकित्सा अधिकारी	01
7.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर	05
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता	07
9.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित व संचालित गांव	13
10.	वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान किये जा रहे गांव	286
11.	अब तक किये गये कृत्रिम गर्भाधान	14690
12.	अब तक परियोजना के तहत शामिल पशु	12991
13.	अब तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य से प्राप्त राशि	3,98,997
14.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर प्रशिक्षण	00
15.	एल.एन. 2 प्रशिक्षित केन्द्र कार्यकर्ता	01
16.	नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता प्रशिक्षण	03
17.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता रिफ्रेसर प्रशिक्षण	18
18.	बाझपन निवारण शिविरों का आयोजन	59
19.	बाझपन निवारण शिविरों से लाभान्वित पशु	1528
20.	किसानो के साथ कार्यक्रम विस्तार प्रोग्राम	115
21.	किसानो के साथ विस्तार प्रोग्राम से लाभान्वित	1588
22.	कॉफ रेली का आयोजन	37
23.	कॉफ रैली में शामिल होने वाले पशुओं की संख्या	414
24.	गांव स्तरीय समिति गठन	07
25.	दूध मापन किये जा रहे पशुओं की संख्या	654
26.	कुल दूध मापन	3638
27.	कुल दूध टेस्टिग	1820
28.	स्टाफ मासिक बैठक	12
29.	परियोजना प्रबन्धन समिति बैठक	02
30.	कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं की संख्या	9991
31.	कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त पशुओं की संख्या	3803

परियोजना के तहत उपरोक्त विवरण के मुताबिक किये जा रहे कार्य से मुख्य परिणाम :

- कृत्रिम गर्भाधान के प्रति किसानों का जुडाव दिखने लगा है।
- पशुपालकों में प्राकृतिक गर्भाधान के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढी है।
- स्थानीय गाय की नस्लों में सुधार होकर राठी नस्ल में वृद्वि हुई है।
- परियोजना से जुडे पशुपालकों के पशुओं में प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन में सुधार आया है।
- परियोजना के माध्यम से उतम नस्ल के राठी सॉडो की संख्या में वृद्वि हुई है।

कॉफ रियेरिंग सेन्टर :

उरमूल पी.एस.राठी परियोजना के तहत उरमूल सेतु संस्थान, लूणकरणसर के कैम्पस में कॉफ रियेरिंग सेन्टर संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। कॉफ रियेरिंग सेन्टर में परियोजना क्षेत्र के पशुपालको के द्वारा पाले गये बछडों को लिया जाता है। पशुपालकों से बछडों की खरीद के समय बछड़ो में होने वाली प्रमुख बिमारियो की जांच की जाती है। इस डिजीज टेस्टिग में मुख्य रूप से केरियोटाइपींग, ब्रूसोलीस, बी.वी.डी आइ.बी.आर.और टी.बी.जेडी. शामिल होती है। डिजीज टेस्टिग के अलावा पेरेन्टेज टेस्टिग, डी–वॉर्मिंग, और टीकाकरण इत्यादि। इस प्रकार की गई सभी जांचो में सफल हुएं बछड़ो को कॉफ रियेरिंग सेन्टर पर लाया जाता है।

कॉफ रियेरिंग सेन्टर से अब तक 37 उच्चगुणवता के बछड़े बेचे जा चुके है। पशुपालक से लाने के बाद बछड़ो को सेन्टर पर 3 माह तक रखा जाता है और समय–समय पर इनकी स्वास्थ्य की जांच भी होती है। सेन्टर पर लाएं गए बछड़ो को बेचने हेतु सूचना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विभिन्न सीमन सेन्टरों को की जाती है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्फत तय किए गए सीमन सेन्टर को बछड़े बेचे जाते है ताकि बिमारी मुक्त और अच्छी गुणवत्ता का सीमन उत्पादन किया जा सके।

बुल्स ब्रिकी का विवरण :

उरमूल राठी परियोजना के तहत इस प्रतिवेदन अवधी अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक में कुल 07 उन्नत नस्ल का बुल्स बेचे गये है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	स्थान का नाम	संख्या
1.	नारवा, जोधपुर	02
2.	केएलडीबी, केरला	05
कुल		**07**

गाय ब्रिकी का विवरण :

उरमूल राठी परियोजना के तहत अब तक कुल 93 उन्नत राठी नस्ल की गाये बेची गई है। प्रतिवेदन अवधी अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक में कुल 52 उन्नत नस्ल की गायें राज्य से बहार भेजी गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	स्थान का नाम	संख्या गाय
1.	विदर्भ, महाराष्ट्र	06
2.	हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश	36
3.	रॉची, झारखण्ड	10
कुल		**52**

चाइल्ड हैल्प लाइन,1098

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिला
वितीय सहयोग : चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन
परियोजना अवधी : अप्रेल 2018–मार्च 2019

सहयोगी संस्थाएं
- उरमूल सेतु संस्थान, लूणकरणसर
- उरमूल सीमान्त समिति, बज्जू
- उरमूल ज्योति संस्थान, नोखा

परियोजना का संक्षिप्त परिचय : उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर द्वारा अगस्त 2011 से बीकानेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलो में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर चाइल्ड लाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। हर गुमशदा, पीडित व समस्याग्रस्त बच्चों की जानकारी तुरन्त 1098 पर चाइल्ड लाइन को मिल रही है। इसके साथ साथ बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रो से बाल विवाह रूकवाने के लिए जन समुदाय व स्वंय बालक–बालिकाओं के संदेश चाइल्ड लाइन को प्राप्त होने लगे है।

मुख्य उद्देश्य :

- बच्चे व जनसमुदाय से प्राप्त सूचना पर कम समय में बच्चें तक पहुंच कर सहायता करना।
- असामाजिक गतिविधियो में लिप्त बच्चों का मार्गदर्शन व सहयोग करना तथा सलाह देना।
- चाइल्डलाइन निःशुल्क फोन सेवा 1098 का प्रचार–प्रसार करना।
- बाल संरक्षण और देखभाल के लिए जरूरत मंद बच्चों की पहचान कर विभागों को सूचना देना।
- बच्चों के लिए काम कर रहे विभागो से समन्वयन स्थापित करना।
- बाल मजदूरी में लिप्त बच्चों को मुक्त करवाना।
- पीडित और शोषण के शिकार बच्चों को सहयोग व पुर्नवासित करवाना।
- जरूरत मंद बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित सेवाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना।
- दर्ज किये गये प्रत्येक मामले का तत्काल फॉलोअप करना।

1098 पर प्राप्त कॉल का विवरण :

केस प्रकार	अप्रेल 2018–मार्च 2019	
1. हस्तक्षेप/सहायता		**कुल**
चिकित्सकीय सहायता	27	27
आश्रय	40	40
आवासीय बच्चों के परिवार से सम्पर्क	32	32
पुनर्वास	36	36
शोषण से रक्षा	199	199
मृत्यु सम्बधित	-	-
स्पॉनसरशिप	218	218
2. गुमशुदा बच्चो के मामले	**-**	**-**
लापता बच्चें	40	40
बच्चों के परिजनो द्वारा मांगी गई सहायता	16	16
3. भावनात्मक सहायता एवं मार्गदर्षन	126	126
कुल 1 से 3 तक	**640**	**640**
4. अन्य प्रकार		
5. सूचना	489	489
सूचना व अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए	2485	2485
चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी	449	449
प्रशासनिक कॉल	152	152
कुल – 3 से 5 तक	**4215**	**4215**

दर्ज मामलों का विवरण :

माह अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक चाल्इडलाइन में कुल 740 मामले दर्ज हुए इनमें से 707 मामलो का निस्तारण किया जा चुका है। अभी 33 मामले शेष है जिनका का फॉलोअप नियमित रूप से लिया जा रहा है।

गुमशुदा मामलो का विवरण : माह अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक चाइल्डलाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के माध्यम से 38 गुमशुदा बालक–बालिकाओं को आश्रय दिलवाया गया। जिस में से 34 बच्चों को परिजनो से मिलवा कर अपने अपने घर भिजवा दिया गया है तथा अभी 04 गुमशुदा बच्चें आश्रय स्थल पर है।

पुर्नवास विवरण : माह अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक स्थानीय किशोर गृह व बालिका गृह में आश्रय पाएं बालक–बालिकाओं का पुर्नवास चाइल्ड लाइन के सहयोग से करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

ब्लॉक/क्षेत्र	अस्थाई आश्रय		स्थाई आश्रय		**अस्थाई आश्रय** अप्रेल 2018–मार्च 2019		
बालक–बालिका को उनके अभिभावक के साथ घर भेजा गया जहा के निवासी थे।	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	कुल
	24	16	20	14	16	06	22

आऊटरीच गतिविधियां :

माह, अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक कुल 200 आउटरीच गतिविधियो का संचालन किया गया जिसमें विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं जिले के अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल है जिसका विवरण इस प्रकार से है :

ब्लॉक/क्षेत्र	अप्रेल 2018–मार्च 2019	**कुल**
जिला बीकानेर/शहरी क्षेत्र	200	**200**

बैठक गतिविधियां :

संस्थान	**अप्रेल 2018–मार्च 2019**	
	साप्ताहिक	**मासिक**
कोलेब	38	12
बाल कल्याण समिति	28	12
किशोर आश्रय गृह	36	12
बालिका गृह	30	12
जिला बाल संरक्षण ईकाइ बैठक	00	06

रेलवे स्टेशन बाल सहायता केन्द्र–1098

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिला रेलवे क्षेत्र
वितीय सहयोग : चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन
परियोजना प्रारम्भ : दिसम्बर 2018
प्रतिवेदन अवधी : दिसम्बर 2018–मार्च 2019

परियोजना का संक्षिप्त परिचय : 01 दिसम्बर 2018 से बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बाल सहायता केन्द्र–1098 का संचालन किया जा रहा है। जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विभाग के साथ मिलकर बाल सहायता केन्द्र 1098 का संचालन किया जा रहा है। सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रचार प्रसार टीम के द्वारा नियमित व लगातार किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के लोगो में इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता आई है।

मुख्य उद्देश्य :

- पीडित बच्चे व जन समुदाय से प्राप्त सूचना पर कम समय में बच्चें तक पहुंच कर सहायता करना।
- ट्रेन में अपने परिवार के साथ सफर कर रहे बच्चों का अपने परिवार से बिछड़ जाना या किसी व्यक्ति द्वारा बच्चो की तस्करी कर ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से बच्चों की मदद करना।
- असामाजिक गतिविधियो में लिप्त बच्चों का मार्गदर्शन व सहयोग तथा सलाह देना।
- चाइल्डलाइन निःशुल्क फोन सेवा 1098 का प्रचार–प्रसार करना।
- बाल संरक्षण और देखभाल के लिए जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर विभागों को सूचना देना।
- बच्चों के लिए काम कर रहे विभागो से समन्वयन स्थापित करना।
- बाल मजदूरी में लिप्त बच्चों को मुक्त करवाना।
- पीडित और शोषण के शिकार बच्चों का सहयोग व पुर्नवासित करवाना।
- जरूरत मंद बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित सेवाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना।
- दर्ज किये गये प्रत्येक मामले का तत्काल फॉलोअप करना।

1098 पर प्राप्त कॉल का विवरण :

केस प्रकार	दिसम्बर 2018–मार्च 2019			
हस्तक्षेप/सहायता	दिसम्बर–जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
चिकित्सकीय सहायता				
आश्रय	01	04	03	08
पुनर्वास	02	04	04	10
शोषण से रक्षा	02	–	–	02
मृत्यु सम्बधित	–	–	–	–
स्पॉनसरशिप	–	–	–	–
6. गुमशुदा बच्चो के मामले				
लापता बच्चें	02	04	04	10
बच्चों के परिजनो द्वारा मांगी गई सहायता	–	–	–	–
7. भावनात्मक सहायता एवं मार्गदर्षन	–	–	01	01
कुल 1 से 3 तक	04	04	05	13
8. अन्य प्रकार				
9. सूचना	33	25	52	110
सूचना व अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए	10	48	45	103
चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी	25	45	35	105
प्रशासनिक कॉल	05	07	06	18
कुल – 3 से 5 तक	**84**	**141**	**155**	**380**

दर्ज मामलों का विवरण : माह दिसम्बर 2018–मार्च 2019 तक रेलवे बाल सहायता केन्द्र, कुल 13 मामले दर्ज हुए इनमें से 13 मामलो का निस्तारण किया जा चुका है,अभी मार्च 2019 तक का कोई मामला शेष नहीं है।

गुमशुदा मामलों का विवरण : माह दिसम्बर 2018–मार्च 2019 तक रेलवे बाल सहायता केन्द्र द्वारा बाल कल्याण समिति के माध्यम से 09 गुमशुदा बालकों को आश्रय दिलवाया गया। बालको के परिजनों का पता करके उन्हे परिजनों को सौपा गया। अभी कोई गुमशुदा बालक आश्रय स्थल पर नहीं है।

पुर्नवास का विवरण : माह, दिसम्बर 2018–मार्च 2019 तक किशेर गृह व बालिका गृह में आश्रय पाएं बच्चों का पुर्नवास करवाया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

ब्लॉक/क्षेत्र	अस्थाई आश्रय		स्थाई आश्रय		अस्थाई आश्रय दिसम्बर 2018–मार्च 2019		
बालक–बालिका को उनके अभिभावक के साथ घर भेजा गया जहा के निवासी थे।	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	कुल
	06	03	00	00	**06**	**03**	**09**

आउटरीच गतिविधियां :

माह, दिसम्बर 2018–मार्च 2019 तक कुल 95 आउटरीच गतिविधियो का संचालन किया गया जिसमें बीकानेर जिले के रेलवे स्टेशन व अन्य रेलवे क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल शामिल है।

बैठक गतिविधियां :

संस्थान	दिसम्बर 2018–मार्च 2019	
	साप्ताहिक	मासिक
कोलेब	4	03
बाल कल्याण समिति	10	03
किशोर आश्रय गृह	08	02
बालिका गृह	04	02

किशोर–किशोरियों को विकास के अवसर के लिए अभियान व पैरवी कार्यक्रम

परियोजना का नाम : लाडो परियोजना
परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर व जोधपुर जिला
वितीय सहयोग : यूनिसेफ राजस्थान
परियोजना प्रारम्भ : अगस्त 2017
प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

प्रदेश में व्याप्त बाल विवाह जैसी प्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट एवं यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से लाडो परियोजना का संचालन बीकानेर एवं जोधपुर जिले में किया जा रहा है। संस्था के द्वारा अगस्त 2017 से लाडो परियोजना का संचालन बीकानेर जिले के ब्लांक, बीकानेर एवं श्रीडूंगरगढ के 129 गांव तथा जोधपुर जिले के ब्लॉक फलौदी एवं लोहावट के 116 गांवों में किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

1. समाज में किशोर–किशोरियों को विकास के समान अवसर दिलवाने के लिए पैरवी करना।
2. किशोर–किशोरियों का क्षमतावर्द्धन करना ताकि वे स्वयं अपने बदलाव के एजेन्ट बन सके।
3. बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए बाल संरक्षण समिति का गठन।
4. आवश्यक जानकारी व सूचनाओं को सही तरीके एवं समय पर प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध सूचना तंत्र में नई तकनीकी का उपयोग करते हुए उसे सशक्त करना।
5. किशोर–किशोरियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के कानूनी एवं नीतिगत ढॉचे में निहित विभिन्न सूचकों से पैरवी करना।
6. समाज में व्याप्त बाल विवाह प्रथा का रोकथाम व समाप्त करना।
7. जन समुदाय को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर के बारे में जानकारी देकर जागृति लाना।
8. क्षेत्र के किशोर–किशोरियों को बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने तथा अपने हक अधिकार प्राप्त करने के लिए तैयार करना।
9. क्षेत्र में बाल विवाह हुएं परिवारो का चयन और उनकी केस स्टेडी तैयार करना।
10. क्षेत्र की पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को मिटाने के लिए प्रशिक्षण देना।
11. क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के सदस्यों को बाल विवाह की रोकथाम एवं समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना।
12. क्षेत्र के धर्मगुरूओं ,समाज के मौजिज व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम व समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण करना।
13. क्षेत्र के गांवो के ग्रामीणों में जागृति लाकर बाल विवाह मुक्त गांव बनाना।
14. क्षेत्र के युवाओ को संगठित करके उन्हे प्रशिक्षण देना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण :

परियोजना के तहत बीकानेर एवं जोधपुर जिले में बेसलाइन सर्वे :

परियोजना क्षेत्र के बीकानेर व जोधपुर जिलें में उरमूल द्वारा किशोर एवं किशोरीयो को सशक्त करे ताकि वे अपना सम्मानित जीवन जी सकें। इसके लिये 10–19 वर्ष तक कें किशोर व किशोरीयो का बेसलाईन सर्वे घर–घर जाकर किया गया। जिससे पता लग सकें कि इन गांवों में कितने बालक एवं बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं औंर अधिकतम किस समाज में बाल विवाह अधिक होते हैं ताकि उन परिवारों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकें। परियोजना संचालित क्षेत्र में किये गये बेसलाइन सर्वे का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	गांवो की संख्या	घरों की संख्या	किशोर संख्या	किशोरी संख्या	किशोर–किशोरी कुल संख्या
1.	बीकानेर	13	1542	2026	1638	3664
2.	जोधपुर	40	2686	3792	3110	6902
कुल		**53**	**4228**	**5818**	**4748**	**10566**

परियोजना टीम का दो दिवसीय प्रशिक्षण : लाडो परियेजना के बीकानेर एवं जोधपुर की 18 सदस्यों की टीम के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण उरमूल सीमान्त समिति, बज्जू में 26–27 मई 2018 को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उरमूल ट्रस्ट के सचिव, अरविन्द ओझा ने बाल अधिकार, किशोर–किशारी मंच, बाल संरक्षण अधिकार, बाल अधिकार क्लब का सिद्वान्त, ब्लॉक व पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बच्चों से सम्बन्धी कानून व नियम एवं सरकारी योजनाएं की जानकारी दी। दूसरे दिन लाडो परियोजना का लक्ष्य, उद्देश्य, गतिविधियां आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल अधिकार क्लब गठन एवं प्रत्येक मौहल्ले वार बालिका मंच बनाने का नियोजन बनाया गया।

क्र.स.	जिले का नाम	सम्भागी		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	**04**	06	10
2.	जोधपुर	02	05	07
कुल		**06**	**11**	**17**

किशोरी समूहों का गठन व बैठकों में भागीदारी : परियोजना अन्तर्गत बीकानेर व जोधपुर जिले में कार्यक्षेत्र के गांवो में किशोरी समूहों का गठन किया गया। इन समूहों में विद्यालय जाने वाली एवं विद्यालय से वंचित दोनो प्रकार की बालिकाओं को जोड़ा गया। समूह गठन व समूहों की बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क. स.	जिले का नाम	समूह गठन	सदस्य संख्या	बैठकों में भागीदारी	संभागी
1.	बीकानेर	358	4629	1618	18612
2.	जोधपुर	148	2072	288	5387
कुल		**506**	**6701**	**1909**	**23999**

किशोर समूहों का गठन व समूहों की मासिक बैठकों में भागीदारी : परियोजना अन्तर्गत बीकानेर व जोधपुर जिले में कार्यक्षेत्र के गांवो में किशोर समूहों का गठन किया गया तथा किशोर समूह की मासिक बैठकों में भाग लिया गया। गठित समूहों एवं बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है

क.स.	जिले का नाम	समूह गठन	सदस्य संख्या	बैठक संख्या	संभागी
1	बीकानेर	255	2890	649	7115
2	जोधपुर	55	734	85	1210
कुल		**310**	**3624**	**734**	**8325**

अभिभावक समूहों का गठन व समूहों की मासिक बैठकों में भागीदारी :परियोजना अन्तर्गत बीकानेर व जोधपुर जिले में कार्यक्षेत्र के गांवो में अभिभावक समूहों का गठन किया गया तथा अभिभावक समूह की मासिक बैठकों में भाग लिया गया। समूहों की बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	समूह गठन	सदस्य संख्या	बैठक संख्या	संभागी
1	बीकानेर	44	655	55	574
2	जोधपुर	36	449	95	935
कुल		**80**	**1104**	**150**	**1509**

बाल अधिकार क्लब का गठन : परियोजना क्षेत्र के बीकानेर व जोधपुर जिले मे बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार कार्यक्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में बाल अधिकार क्लब बनाये गये। क्लब के सदस्यों को सरकार की बाल संवाद पुस्तिका वितरित की गई। गठित बाल क्लब का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	क्लब संख्या	सदस्य संख्या
1.	बीकानेर	107	2353
2.	जोधपुर	52	752
कुल		**159**	**3105**

बाल अधिकार क्लब की बैठकों का आयोजन : परियोजना क्षेत्र के बीकानेर व जोधपुर जिले मे बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार कार्यक्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में बनाये गये बाल अधिकार क्लबों की बैठकों में भाग लिया। बैठकों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	बैठक संख्या	सदस्य
1.	बीकानेर	326	7335
2.	जोधपुर	89	1573
कुल		**404**	**8726**

बाल विवाह विषयक पंचायत बैठक व बाल संरक्षण समिति सदस्यों का आमुखीकरण :

परियोजना के तहत बीकानेर व जोधपुर जिले के बाल विवाह विषयक पंचायत बैठकें कर पंचायतीराज सदस्यों सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंचो के साथ ग्रामीणों का आमुखीकरण किया गया। इसके साथ ही बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की बैठकें भी गई। आमुखीकरण में संभागीयों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रं. सं.	जिले का नाम	बैठक एवं आमुखीकरण संख्या	संभागी विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	62	541	4485	5026
2.	जोधपुर	40	177	1271	1448
कुल		**105**	**718**	**5756**	**6474**

जीवन कौशल प्रशिक्षण :कार्यक्षेत्र में गठित बालिका मंच की बालिकाओं में से चयनित बालिकाओं के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण आयोजित किये गये। प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	कार्यक्रम संख्या	संभागी विवरण		
			महिलाए	बालिकाए	कुल
1	बीकानेर	47	65	1577	1642
2	जोधपुर	28	123	988	1111
	कुल	**75**	**188**	**2565**	**2753**

बालिका मंच की बालिकाओं की खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन :प्रतिवेदन अवधि में बालिका मंच लाडो की बालिकाओ के साथ खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता का विवरण निम्न प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	गांवो कि संख्या	बलिकाओं की संख्या
1	बीकानेर	78	2116
2	जोधपुर	179	4997
कुल		**257**	**7113**

फ्रन्टलाईन वर्कर कार्यशाला :गांव व पंचायत स्तरीय फ्रन्टलाईन वर्कर जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, साथीन, एएनएम, धर्मगुरू एवं मुखियाओं को लाडो परियोजना की जानकारी देकर उनके सहयोग से कार्यक्षैत्र की बालिकाओं को विकास के अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचकों की एक–एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्न प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	कार्यशाल संख्या	संभागी संख्या
1	बीकानेर	08	301
2	जोधपुर	05	338
कुल		**13**	**639**

राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी 2019) लाडो परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बच्चों के साथ समूह चर्चा, भाषण, रोल प्ले, नाटक, खेलकूद आदि के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह के लिए सजा, बाल अधिकार, बाल अधिकार के बारे में बताया गया। सप्ताह में भागीदारी का विवरण निम्न है

क.स.	जिले का नाम	कार्यक्रम संख्या	संभागी संख्या
1.	बीकानेर	03	945
2.	जोधपुर	04	1189
कुल		**07**	**2134**

बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा : परियोजना के तहत बीकानेर व जोधपुर जिले के पंचायतीराज सदस्यों संरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच, समुदाय ,जातिगत लीडरों, प्रशासन की उपस्थित मे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत की घोषण की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत	संभागी संख्या
1	बीकानेर	03	5500
2	जोधपुर	00	00
कुल		**03**	**5500**

बाल मेले का आयोजन : बालिकाओं को बाहरी परिवेश की जानकारी देने व एक–दूसरे समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यो से आपसी साझा समझ विकसित करने के उद्देश्य से परियोजना संचालित दोनो जिलो बीकानेर व जोधपुर में ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया। इन मेलों में बालिकाओं के साथ खेलकूद, फिल्म प्रर्दशन, रोल प्ले, संगीत, चित्रकारी व भाषण आदि गतिविधियां आयोजित की गई। मेलों में भाग लेने वाली बालिकाओं की संख्या निम्न प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	स्थान	संभागी संख्या
1	बीकानेर	श्रीडूंगरगढ	101
2	जोधपुर	फलौदी	124
कुल			**225**

मीडिया संवाद का आयोजन :परियोजना अंतर्गत की जा रही गतिविधियों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं सफल कहानियों को नियमित प्रकाशन करने तथा बाल विवाह रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु मीडिया कर्मियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए दोनो जिलों में मीडिया कर्मियों के साथ एक दिवसीय संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों को परियोजना की जानकारी देते हुए सकारात्मक सहयोग पर चर्चा की गई। संवाद में संभागीयों की संख्या निम्न प्रकार रही :

क.स.	जिले का नाम	संवाद संख्या	संभागी संख्या
1.	बीकानेर	01	12
2.	जोधपुर	02	46
कुल		**03**	**58**

विद्यालय स्तर पर बालक–बालिकाओं का अभिमुखीकरण, खेल–कूद, वाद–विवाद, चित्रकारी व अध्यापकों का आमुखीकरण : परियोजना अंतर्गत दोनो जिलों के कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के साथ बाल अधिकारों की जानकारी देते हुए बाल अधिकारों की सुनिश्चितता करना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिवेदन अवधि में आयोजित विद्यालय कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :

क.सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या	बच्चों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	कुल
1.	बीकानेर	87	15476	360	15836
2.	जोधपुर	101	13586	382	13968
	कुल	**173**	**27286**	**692**	**27978**

पालनहार योजनाा से जोडा गया :

क.स.	जिले का नाम	गावों की सख्या	लाभार्थी
1.	बीकानेर	04	04
2.	जोधपुर	00	00
कुल		**04**	**04**

युवा क्लब गठन : परियोजना क्षेत्र की समस्त युवाऔ को बाल विवाह की रोकथाम व समाप्ति के मुद्दो पर आमुखिकरण किया गया। इस आमुखिकरण कार्यक्रम के दौरान समस्त यूवाऔं को बाल विवाह से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे समझाने के साथ ही गांव में विद्यालय से छूटे हुएं बच्चों को जोडने के प्रयासों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई इन कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	समुह संख्या	सम्भागी विवरण
1.	बीकानेर	**26**	**310**
2.	जोधपुर	**00**	**00**
कुल		**26**	**310**

अन्य गतिविधियाँ

- स्वयं सहायता समूह बैठकों में भागीदारी।
- अभिभावक समूहों का गठन व आमुखीकरण।
- ब्लॉक व जिला स्तरीय सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें।
- एसएमसी, एसडीएमसी, वीडीसी की बैठकों में भागीदारी।
- धर्मगुरूओं, मुखियाओं, जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क व चर्चा।
- पंचायत बैठकों में भागीदारी।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेक्टर बैठकों में भागीदारी।

विशेष उपलब्धियाँ :

- पंचायत समितियों में ब्लॉक व पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन हो गया है।
- कार्यक्षैत्र में बाल विवाह रोकथाम के लिए हलचल प्रारम्भ हुई हैं।
- किशोर–किशोरी अपने मंच के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए पैरवी करना प्रारम्भ हुएं है।
- ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से बाल अधिकार,, बालिका शिक्षा एवं बाल विवाह रोकथाम के बारे में चर्चा होने लगी है।
- कार्यक्षैत्र के लोग बाल विवाह रोकथाम एवं बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जागरूक हुए है।

गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से वंचित बालिकाओं का सशक्तिकरण

परियोजना का कार्यक्षेत्र : जोधपुर जिला
वितीय सहयोग : बाल रक्षा भारत
परियोजना प्रारम्भ : सितम्बर 2017
प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय में बालिकाओं के शैक्षिक व जीवन कौशल विकास करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट ,बीकानेर और बाल रक्षा भारत के द्वारा संयुक्त रूप से गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से वंचित बालिकाओं का सशक्तिकरण परियोजना का संचालन, जोधपुर जिले में किया जा रहा है। संस्था के द्वारा. सितम्बर 2017 से जोधपुर जिले के 9 ब्लॉक मण्डोर, लूणी, बालेसर, शेरगढ, फलौदी, बाप, ओसिया भोपालगढ एवं बिलाडा में कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विधालयों के साथ किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

- समाज में बालिका शिक्षा को बढावा देना।
- शिक्षा से वंचित बालिकाओं को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार दिलवाना।
- शाला प्रबन्धन समितियों को बालिका शिक्षा के प्रति जबाबदेह बनाना।
- बालिकाओं को पढाये जाने वाले विषयों व जेण्डर पर मजबूत समझ बनाना।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु अभिभवकों को प्रेरित करना व योजनाओं की जानकारी देना।
- बालिकाओं में अपने भविष्य के प्रति निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास को बढाना।
- बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के समानता के अवसर प्रदान हेतु माहौल पैदा करना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

बेसर्लाइन सर्वे : जोधपुर जिले के परियोजना संचालित क्षेत्र के 9 कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विधालय में बालिकाओं का स्तर जानने के लिये एण्डलाइन सर्वे किया गया। जिसमें कुल 818 बालिकाओं में से 754 बालिकाओं ने भाग लिया। इन बालिकाओं में से 397 बालिकाओं का स्तर गणित व हिन्दी में कमजोर पाया गया था उस में से 361 बालिकाओं के स्तर में सुधार हुआ है। स्तर आंकलन का विवरण इस प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी संख्या	विवरण			
			कुल बालिका	बेसलाइन किया	कमजोर स्तर	कमजोर स्तर में सुधार वाली बालिका
1.	जोधपुर	09	818	754	397	361
कुल		**09**	**818**	**754**	**397**	**361**

अभिभावक व अध्यापक बैठकों का आयोजन : परियोजना क्षेत्र के 9 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधयालय में अभिभावक व अध्यापक बैठकों का आयोजन करके बेसलाइन सर्वे को शेयर किया गया और कमजोर स्तर वाली 361 बालिकाओं के बारे में चर्चा की गई। इन बैठकों भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	संभागियों का विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	जोधपुर	18	548	532	1080
कुल		**18**	548	532	1080

अकादमिक कार्य में सहयोग : परियोजना क्षेत्र के 9 केजीबीवी में परियोजना के तहत कार्यरत अकादमिक फैलो के माध्यम से कमजोर स्तर वाली 361 बालिकाओं के साथ शिक्षिकाओं को साथ लेकर विशेष पाठ योजना बनाकर कार्ययोजना का निर्माण करवाया गया। बालिकाओं की जरुरत के हिसाब से सहायक सामग्री का निर्माण करवाया गया। इस कार्य से 311 बालिकाओं के स्तर में सुधार हुआ। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	अकादमीक कार्ययोजना की बालिकाएं	अकादमीक कार्य के बाद सुधार वाली बालिकाएं
1.	जोधपुर	361	311
कुल		**361**	**311**

जिला स्तर समीक्षा बैठकों में भागीदारी : परियोजना क्षेत्र के 9 केजीबीवी जिला स्तर समीक्षा बैठकों में भाग लेकर केजीबीवी में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार के लिये केजीबीवी प्रधानाध्यापिकाओं व एडीपीसी, एपीसी के साथ सयुंक्त कार्ययोजना बनाने का निर्णय करवाया गया। बैठकों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	संभागियों का विवरण		
			केजीबीवी प्र.अ.	जिला अधिकारी	कुल
1.	जोधपुर	06	50	16	66
कुल		**06**	**50**	**16**	**66**

बालिकाओं का जीवन कौशल प्रशिक्षण : परियोजना क्षेत्र के 9 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय में जीवन कौशल एवं जेण्डर पर समझ विकसित व मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	प्रशिक्षणों संख्या	कजीबीवी संख्या	उपस्थित बालिका
1.	जोधपुर	17	09	1406
कुल		**17**	**09**	**1406**

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का आमुखीकरण : परियोजना क्षेत्र में संचालित केजीबीवी की समस्त विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का बालिका शिक्षा व केजीबीवी में उनकी भूमिका के मुद्दो पर आमुखीकरण किया गया। आमुखीकरण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र.स.	जिले का नाम	प्रशिक्षण संख्या	संभागियों का विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	जोधपुर	07	159	99	258
कुल		**07**	**159**	**99**	**258**

केजीबीवी शिक्षिकाओं का विषयगत व जेण्डर पर आमुखीकरण : परियोजना क्षेत्र में संचालित केजीबीवी की समस्त शिक्षिकाओं का प्रभावी शिक्षण हेतु 01 दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया। इस आमुखीकरण में भाग लेने वालो का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	प्रशिक्षण संख्या	संभागियों का विवरण		
			शिक्षिका	अकादमिक फैलो	कुल
1.	जोधपुर	02	41	08	49
कुल		**02**	**41**	**08**	**49**

स्कूल स्तर पर बैठको का आयोजन :सभी केजीबीवी में बालिका शिक्षा की उपयोगिता व केजीबीवी योजना के प्रचार प्रसार के लिये समुदाय के मौजिज लोगों के साथ बैठके आयोजित की। बैठको उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है

क्र.स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	संभागियों का विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	जोधपुर	18	936	313	1249
कुल		**18**	**936**	**313**	**1249**

बालिकाओं के लिय भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन : परियोजना क्षेत्र में संचालित सभी केजीबीवी की बालिकाओं को स्थानीय स्थलों की जानकारी, तर्कशक्ति को बढ़ाने के लिए भ्रमण करवाये गये। भ्रमण कार्यक्रम में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	भ्रमण संख्या	संभागियों का विवरण		
			बालिकाएं	शिक्षिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	09	774	27	801
कुल		**09**	**774**	**27**	**801**

अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस सप्ताह का आयोजन : परियोजना क्षेत्र में संचालित सभी केजीबीवी में अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस सप्ताह मनाया गया। जिसमें बाल अधिकार, कानून, बाल विवाह, गुड टच एवं बेड टच के साथ ही चाइल्ड हेल्पलाईन के बारे में अवगत कराते हुएं समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस सप्ताह में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	संभागियों का विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	जोधपुर	09	894	122	1016
कुल		**09**	**894**	**122**	**1016**

राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन : परियोजना संचालित क्षेत्र के 04 केजीबीवी में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	संभागियों का विवरण		
			महिला	पुरूष	कुल
1.	जोधपुर	04	368	124	492
कुल		**04**	**368**	**124**	**492**

पुस्तकालय किट,शब्द कोष ,एटलस व गणित किट का वितरण : परियोजना संचालित सभी केजीबीवी में प्रथम संस्थान से पुस्तकालय किट क्रय करके प्रत्येक केजीबीवी वार वितरण ब्लॉक के सी.बी.ई.ओ. एवं आर.पी. के कर कमलो से वितरण किया गया। पुस्कालय किट वितरण में लाभार्थीयों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	संभागियों का विवरण		
			बालिकाएं	शिक्षिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	09	919	19	938
कुल		**09**	**919**	**19**	**938**

थियेटर प्रशिक्षण : परियोजना संचालित सभी 9 केजीबीवी में थियेटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, समाज में व्याप्त सामाजिक कुरितियां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित नाटक तैयार करके कठपुतली के माध्मय से प्रस्तुतीकरण करवाया गया। इस प्रशिक्षण के सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	संभागियों का विवरण		
			बालिकाएं	अध्यापिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	09	678	24	702
कुल		**09**	**678**	**24**	**702**

पुस्तकालय उपयोग की आदत विकसित करना : सभी 9 केजीबीवी में पुस्तकालय को शिक्षण कार्य से जोडने के लिये शिक्षिकाओं के साथ मिलकर पुस्तकालय कालांश में बालिकाओं में पुस्तको का प्रयोग विषयों से जोडकर कार्य करने की कोशिश की। पुस्तकालय की पुस्तको का उपयोग करने वाली बालिकाओं की सख्या इस प्रकार है :

क.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	कुल नामांकन	पुस्तकालय की पुस्तक पढने वाली बालिकाएं	शेष नही पढने वाली
1.	जोधपुर	09	919	734	185
कुल		**09**	**919**	**734**	**185**

ललिता बाबू प्रशिक्षण : परियोजना संचालित सभी 9 केजीबीवी में दो दिवसीय क्षमतावर्धन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण ललिता बाबू प्रशिक्षण मॉडयूल के माध्मय से दिया गया। ललिता बाबू प्रशिक्षण में उपस्थिति इस प्रकार है :

क्र.स.	जिले का नाम	केजीबीवी की संख्या	संभागियों का विवरण		
			बालिकाएं	अध्यापिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	09	135	21	156
कुल		**09**	**135**	**21**	**156**

शैक्षिक बालिका मेलों का आयोजन : परियोजना संचालित 09 केजीबीवी में दो दिवसीय शैक्षिक किशोरी बालिका मेलों का आयोजन सरकार के साथ मिलकर किया गया। इन मेलों में 09 केजीबीवी के आसपास की 10–10 स्कूलो की बालिकाओं को शामिल भी शामिल किया गया। इन मेलों में उपस्थिति इस प्रकार रही :

क्र.स.	जिले का नाम	केजीबीवी व स्कूल संख्या	संभागियों का विवरण		
			बालिकाएं	अध्यापिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	70	3492	203	3695
कुल		**70**	**3492**	**203**	**3695**

बेसलाईन सर्वे अपडेशन : जोधपुर जिले के परियोजना संचालित क्षेत्र के 9 कस्तूरबा गॉधी विधालय में बालिकाओं का स्तर जानने के लिये कुल 919 बालिकाओं में से नव प्रवेशित 397 बालिकाओं का बेसलाईन सर्वे किया गया। जिसमें कुल 397 बालिकाओं ने भाग लिया। इन बालिकाओं में से 361 बालिकाओं का स्तर गणित व हिन्दी में कमजोर पाया गया। स्तर आंकलन का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	जिले का नाम	केजीबीवी संख्या	विवरण			
			कुल बालिका	बेसलाइन किया	कमजोर स्तर	स्तर में सुधार की बालिका
1.	जोधपुर	09	919	397	361	311
कुल		**09**	**919**	**397**	**361**	**311**

एलुमिनाई मीट का आयोजन : इस कार्यक्रम में केजीबीवी से पास आउट व अध्ययनरत बालिकाओं में आपस में अनुभव साझा किये गये। और अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोतसाहित किया गया। उपस्थिति इस प्रकार रही :

क्र.स.	जिले का नाम	केजीबीवी संख्या	संभागियों का विवरण		
			पास आउट बालिकाएं	अध्ययनरत बालिकाएं	कुल
1.	जोधपुर	09	328	683	1011
कुल		**09**	**328**	**683**	**1011**

एण्डलाईन सर्वे अपडेशन : जोधपुर जिले की 9 कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विधालय में बालिकाओं का स्तर जानने के लिये कमजोर स्तर वाली 361 बालिकाओं का एण्डलाईन सर्वे किया गया। इन बालिकाओं में से 50 बालिकाओं का स्तर गणित व हिन्दी में कमजोर पाई गई और 311 बालिकाओं के स्तर में सुधार हुआ है। स्तर आंकलन का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	जिले का नाम	केजीबीवी संख्या	विवरण		
			कुल बालिका	एण्डलाइन किया	स्तर में सुधार की बालिका
1.	जोधपुर	09	919	361	311
कुल		**09**	**919**	361	**311**

राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम

परियोजना का कार्यक्षेत्र : ब्लांक, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ, कोलायत, लूणकरणसर एवं नोखा
वितीय सहयोग : साईटसेवर्स इन्टरनेशनल
कार्यक्रम प्रारम्भ : अगस्त 2014
प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

कार्यक्रम परिचय : राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम का संचालन साईटसेवर्स के सहयोग से बीकानेर जिले के 5 ब्लॉक में किया जा रहा है। जिसका मुख्य उददेश्य विकलांग सशक्तिकरण है।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

- विकलोगो को आजीविका से जोडकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- विकलांग अधिकार मंच का सशक्तिकरण।
- क्षेत्र में विकलांगो के अनुकुल वातारण तैयार एवं स्थापित करना।

जिले के 5 ब्लॉक में कुल चिन्हित विकलांगो की संख्या :

क.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	दृष्टिहीन	274	157	431
2.	अल्पदृष्टि	201	65	266
3.	लोकोमोटर	3842	1490	5332
4.	एम.आर.	500	212	712
5.	सी.पी.	79	34	113
6.	डैफ/डम/एच.आई.	424	192	616
7.	मल्टी डिसऐबल	187	100	287
8.	अन्य	03	01	04
कुल		**5510**	**2251**	**7761**

सरकारी सेवाओं से जोडे गये लाभार्थियों का विवरण : अप्रेल 2018–मार्च 2019

क.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	मेडिकल प्रमाण पत्र	174	70	244
2.	रेल पास	114	41	155
3.	बस पास	210	86	296
4.	पेन्शन	176	71	247
5.	वोटर आई.डी.	146	55	201
6.	आधार कार्ड	143	83	226
7.	मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना	58	09	67
8.	पालनहार योजना	96	49	145
9.	मनरेगा	175	62	237
10.	प्रधानमंत्री आवास योजना	56	22	78
11.	विकलाग विवाह सहायता	10	03	13
12.	राशन कार्ड	96	46	142
13.	सहायक उपकरण–ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, हियरिंग ऐड इत्यादि	115	61	176
14.	सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडा	73	17	90
15.	स्वयं सहायता समूह बैंक खाता संख्या	06	01	07
16.	स्वंय सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत खाता संख्या	108	55	163
	कुल	**1756**	**731**	**2487**

आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडे गये दिव्यांगजनों का विवरण : दिव्यांगों को आजीविका से जोडकर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोडकर लाभान्वित करवाने के साथ ही इन्हे आजीविका का कार्य शुरू करवाया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	आजीविका से जोडे गये विकलांगों की संख्या			विशेष विवरण
			पुरूष	महिला	कुल	
1.	बीकानेर	05	108	18	126	दिव्यांगों को आजीविका से जोडने के तहत इस अवधी में दिव्यांगों को किराणा, परचून, मनिहारी एवं जनरल स्टोर, सिलाई कार्य, इलेक्ट्रीशियन का कार्य, दो पहिया वाहन रिपेयरिंग, टायर पंचर एवं पशुपालन का कार्य शुरू करवाया गया है तथा सभी दिव्यांग अब नियमित रूप से अपना आजीविका का कार्य प्रभावी तरीके से कर रहे है।
कुल		**05**	**108**	**18**	**126**	

स्वंय सहायता समूहों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण : परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों में से 20 समूहों के लिए सामूहिक आजीविका गतिविधि करने के लिए बीकानेर जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के लिए 02 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	सर्फ बनाना एवं मार्केटिग	09	35	08	43
2.	मसाला पिसाई एवं मार्केटिग	04	21	01	22
3.	हर्बल उत्पाद तैयार एवं मार्केटिग	03	14	02	16
4.	चायपती तैयार एवं मार्केटिग	03	14	02	16
5.	कपडे की थैली सिलाई एवं मार्केटिग	01	04	00	04
	कुल	**20**	**88**	**13**	**101**

स्वंय सहायता समूहों को आजीविका से जोडा : विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन के माध्यम से कौशल विकास करके 20 स्वंय सहायता समूहों को आजीविका का कार्य शुरू कर वाया गया है। जैसे : सर्फ निर्माण, मसाला पिसाई, हर्बल उत्पाद, चायपती तैयार करना एवं कपडे की थैली सिलाई इत्यादि।

समुदाय के साथ बैठको का आयोजन : समुदाय को दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगी बनाने के लिए समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन करके संचालित परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्यां	बैठक संख्यां	लाभार्थी		
				पुरूष	**महिला**	**कुल**
1.	बीकानेर	05	97	1817	876	2693
कुल		**05**	**97**	**1817**	**876**	**2693**

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजन : जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर संवेदनशील बनाने तथा दिव्यांग के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी देकर जागृत करने का प्रयास किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्यां	बैठक संख्यां	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	61	585	249	834
कुल		**05**	**61**	**585**	**249**	**834**

विकलांग मंच की ब्लॉक स्तरीय बैठकों का विवरण :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	42	820	247	1067
कुल		**05**	**42**	**820**	**247**	**1067**

विकलांग मंच की जिला स्तरीय बैठकों का विवरण : बीकानेर जिले में गठित जिला विकलांग अधिकार मंच के सदस्य की त्रैमासिक बैठक में मुख्य रूप मंच के द्वारा किये गये कार्यो की संमीक्षा एवं नियोजन किया जाता है। मंच की बैठक में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	04	40	19	59
कुल				**40**	**19**	**59**

जिला विकलांग अधिकार मंच के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण : जिला विकलांग अधिकार मंच के सदस्यों की क्षमतावर्द्वन हेतु जिले के 05 ब्लॉक में 1–1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों में मुख्य रूप से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एवं सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं सतत् विकास लक्ष्य	30	919	268	1187
कुल		**30**	**919**	**268**	**1187**

जिला विवरण अधिकार मंच में नये जोडे गये सदस्यों का विवरण : जिला विकलांग अधिकार मंच में अप्रेल 2019 तक नये जोडे गये सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	नये जोडे गये सदस्यों का विवरण		
			पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	853	264	1117
कुल		**05**	**853**	**264**	**1117**

स्वंय सहायता समूहों के साथ आयोजित मासिक बैठको का विवरण : गठित स्वंय सहायता समूहों के साथ आयोजित की गई मासिक बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.स.	ब्लॉक के नाम	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थि सदस्यों का विवरण		
			पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर, श्रीडूंगरगढ, नोखा कोलायत व लूणकरणसर	34	290	86	276
कुल		**34**	**290**	**86**	**276**

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, श्रीगंगानगर

परियोजना का कार्यक्षेत्र : श्रीगंगानगर

वितीय सहयोग : महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान सरकार

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की रोकथाम और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत श्रीगंगानगर जिले में उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के द्वारा इस केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की मुख्य सेवाएं :

- पीडित महिला के साथ विचार–विमर्श से समस्या का आकलन और समाधान करवाना।
- महिला की इच्छा पर सम्बन्धित प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज करवाना।
- जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से महिला को उपयुक्त सहायता दिलवाना।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालन में सहयोग, सलाह एवं मार्गदर्शकरना।
- चिकित्सा अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित अस्पताल को संदर्भित करना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- अधिसूचित आश्रय गृह में प्रवेश दिलवाना।
- आकस्मिक स्थिति में पुलिस के सहयोग से महिला के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करवाना।
- केन्द्र पर आने वाली हर महिला प्रार्थी से वार्ता की गोपनीयता का को बनाये व ध्यान रखना।

श्रीगंगानगर केन्द्र : श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर शहर के कोतवाली पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र पर माह अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक कुल 57 घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिलाओं को सलाह सहयोग व मार्गदर्शन किया गया है।

श्रीगंगानगर केन्द्र : इस केन्द्र के माध्यम जिले में नियमित रूप से घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिलाओं को सलाह, सहयोग व मार्गदर्शन किया गया है। दर्ज परिवादों का विवरण इस प्रकार से है :

गतिविधि	अप्रेल 2018–मार्च 2019 **तक प्रकरण संख्या**
व्यथित महिला को व्यक्तिगत सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	57
पारिवारीक सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	57
व्यथित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना	57
कानूनी सलाह	57
एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में सहयोग	09
वैवाहिक घर में रहने के व्यथित महिला के अधिकारों का संरक्षण	08
हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए की गई विचार गोष्ठियां,कार्यशाला	03
मेडिकल मुआयना करवाने में सहयोग	01
निराश्रय की अवस्था में आश्रय गृह में प्रवेश दिलाने में सहयोग/मार्गदर्शन	07
व्यथित महिला के बच्चों की अभिरक्षा में सहयोग	02
स्त्री धन वापसी में सहयोग	04
व्यथित महिला को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उचित सलाह	02
घरेलू घटना रिपोर्ट बनाने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग	00
दहेज प्रकरण में उचित कार्यवाही में सहयोग	05
पारिवारिक विघटन एवं तलाक जैसी परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन	07

मुख्यमंत्री हैल्प लाईन से प्राप्त परिवादों का निस्तारण : परिवादों के अलावा श्रीगंगानगर जिले में केन्द्र पर माननीया मुख्यमंत्री हैल्प के माध्यम से प्राप्त 70 परिवादों का फोलोअप करके इनका निस्तारण किया जाकर मुख्यमंत्री हैल्प लाईन को अवगत करवाया गया।

पश्चिमी भारत में ई–कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम

परियोजना का नाम	पश्चिमी भारत में ई–कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम
परियोजना का कार्यक्षेत्र	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा
वितीय सहयोग	आई.एफ.सी एवं करो सम्भव प्राइवेट लिमिटेड
परियोजना प्रारम्भ	नवम्बर 2017
प्रतिवेदन अवधि	अप्रेल 2018 –जनवरी 2019

कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय : संस्था के द्वारा नवम्बर 2017 से राजस्थान के बीकानेर एवं जयपुर शहर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र में आने वाले जिले, गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा एवं सूरत शहर, गोवा के पंजीम शहर और उत्तरी गोवा के ग्रामीण इलाकों में ई–कचरा प्रबंधन हेतु कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य :

- ई–कचरा उत्पादन करने वाले थोक उपभोक्तओं को जागरूक कर कानूनी और जिम्मेदार तरीके से ई–अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु मदद करना।
- ई–कचरा के संग्रह हेतु प्रणाली का निर्माण करना है।
- थोक उपभोक्ताओं, उत्पादों की मरम्मत करने वाली दुकानों, ई–कचरे के कबाडियों और घर–घर से ई–कचरा लाने वालों की पहचान कर उनका पंजीकरण करना।
- पंजीकरण के बाद उनके व्यवसाय का कानूनी रूप देने के लिए बैंकिग सेवाओं की मदद लेते हुए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना और जी.एस.टी काननू के तहत व्यापार शुरू करवाना है।
- एकत्रित किये गए एवं उत्पादित किए गये ई–कचरे को खरीद कर एकत्रित करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ई–अपशिष्ट पुनः चक्रण यूनिट अर्थात रिसाइकिलिंग यूनिट को पुनः चक्रण हेतु भिजवाना।
- एक टिकाऊ ई–अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को स्थापित करना।

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

पंजीकरण किये गये उपभोक्ताओं का विवरण :

पंजीकरण का विवरण	राजस्थान	गुजरात	महाराष्ट्र	गोवा	कुल
थोक उपभोक्ता	258	09	10	31	308
रिपेयरिंग दुकान	264	41	118	04	427
ई–कचरा संग्रह करने वाले–बड़ेकबाड़ी	162	29	161	08	360
फेरीवाले	127	08	182	07	324
कुल	**811**	**87**	**471**	**50**	**1419**

ई–कचरा एकत्रित करके पुनः चक्रण हेतु भेजा गया :

ई–कचरा एकत्रित विवरण	राजस्थान	गुजरात	महाराष्ट्र	गोवा	कुल
मैट्रिक टन	14.6	57.0	179.3	4.6	254.52

ई–कलेक्शन केन्द्र की स्थापना एवं गोदाम स्थापित :

उपभोक्ताओं द्वारा ई–कचरा के निपटाने हेतु राजस्थान के बीकानेर एवं जयपुर, महाराष्ट्र के नागपुर एवं गोवा में ई–कचरा कलेक्शन करने हेतु केन्द्र खोलने के साथ ही गोदाम स्थापित किये गये है।

ई–कचरा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को स्थापित करने हेतु प्रयास :

- गोवा में कचरा प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक से तीन दौर की बातचीत ओर सुझाव को ध्यान में रखते हुए गोवा राज्य के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव का निर्माण किया जा रहा है। जिसके

सफल होने पर उरमूल ट्रस्ट और करो संभव प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा गोवा राज्य में एक नोडल एजेंसी के तौर पर ई–अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करेगे।

- गुजरात, राजस्थान और गोवा राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बैठकों के माध्यम से अपने कार्य से उनको अवगत करवाया जा रहा है। साथ ही ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2018 के क्रियान्वयन और प्रवर्तन हेतु बैठक की जा रही है।
- सूचना प्रौघोगिकी और संचार विभाग के साथ बैठकों के माध्यम से सभी सरकारी और निजी संस्थानों कोई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2018 के अनुसार ई–अपशिष्ट के निपटाने हेतु परिपत्र जारी करवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
- गुजरात विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक के माध्यम से विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के साथ मिलकर ई–कचरा जागरूकता और प्रबंधन हेतु रैली, वर्कशॉप आदि का आयोजन के प्रयास किये जा रहे हैं।
- विदर्भ क्षेत्र में कनक रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड जो कि नागपुर में कचरा बीनने वालों की यूनियन में भागीदार है के साथ मिलकर सभी कचरा बीनने वालों के क्षमतावर्धन और ई–कचरा इक्ट्ठा कर रोजगार मे वृद्धि हेतु बैठक की गई।
- गुजरात में एसोचैम, वाओ, कैच फाउंडेश्न, पर्यावरण मित्र आदि संस्थाओं के साथ मिलकर ई–कचरा प्रबंधन इकोसिस्टम बनाने के प्रयास जारी हैं।
- कार्यक्षेत्र के सभी हित धाकर कों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है तथा ई–अपशिष्ट प्रबंधन में होने वाली किसी भी समस्या का तुरंत निपटाने का कार्य किया जा रहा है।
- मान्यता प्राप्त पुन : चक्रण यूनिट को जाने वाले माल की पुन : चक्रण तक सख्ती से जांच की जा रही है ताकि उन्हे दिया गया ई–अपशिष्ट पुनः अनौपचारिक तरीके से निपटारा करने वाले हाथो में न जाए।

शादी : बच्चों का खेल नही

परियोजना का कार्यक्षेत्र : ओसिया, जोधपुर
वितीय सहयोग : सेव द चिल्ड्रन
परियोजना प्रारम्भ : 2018
प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

शादी : बच्चो का खेल नही परियोजना के तहत बालिकाओं के शैक्षिक, जीवन कौशल विकास एवं सशक्तिकरण करने के उद्देश्य के साथ बाल विवाह रोकने के प्रति बालिकाओं एवं जन समुदाय में जागृति के माध्मय से समझ विकसित करने के प्रयास के तहत उरमूल ट्रस्ट और सेव द चिल्ड्रन के द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

- समाज में बालिका शिक्षा को बढावा देना।
- शिक्षा से वंचित बालिकाओं को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार दिलवाना।
- शाला प्रबन्धन समितियों को बालिका शिक्षा के प्रति जबाबदेह बनाना।
- बालिकाओं को पढाये जाने वाले विषयों व जेण्डर पर मजबूत समझ बनाना।
- उच्च शिक्षा हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना व बालिकाओं की योजनाओं की जानकारी देना।
- बालिकाओं में अपने भविष्य के प्रति निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास को बढाना।
- बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के समानता के अवसर प्रदान हेतु माहौल पैदा करना।
- बालिकाओं को बाल विवाह के विरूद्व जागरूक करना।
- युवा यह तय करने मे सक्षम हो कि वे कब व किस परिस्थिति मे शादी करे।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

किशोर–किशारी समूहों के लीडरस् के साथ पाक्षिक बैठक आयोजन :

परियोजना के तहत बनाये गये किशोर–किशोरी समूहो के लीडरस् के साथ पाक्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। माह, अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक में आयोजित पाक्षिक बैठकों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	विवरण	आयोजित बैठक	संभागी				
			लडकिया–वर्ष 15–18	लडकिया 19 वर्ष व +	लडके–वर्ष 15–18	लडके 19 वर्ष व +	कुल
1.	पाक्षिक बैठक	129	2722	881	193	43	3839
कुल		**129**	**2722**	**881**	**193**	**43**	**3839**

ललिता बाबू जीवन कौशल विकास एवं शिक्षा :

परियोजना संचालित क्षेत्र के किशोर–किशोरियों के लिए जीवन कौशल विकास एवं शिक्षा को लेकर ललिता बाबू जीवन कौशल विकास एवं शिक्षा सत्र् का आयोजन किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क. स.	विवरण	आयोजित सत्र्	संभागी				
			लडकिया–वर्ष 10–14	लडकिया 15–19 वर्ष	लडके–वर्ष 15–19	लडके 10–19 वर्ष	कुल
1.	नये सत्र्	185	937	537	169	14	1657
2.	रिविजन सत्र्	714	5595	2420	186	85	8286
	कुल	**899**	**6532**	**2957**	**355**	**99**	**9943**

यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार सत्रों् का आयोजन :

प्रतिवेदन अवधी के तहत चर्चा नेताओं के द्वारा यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार सत्रों् का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	विवरण	आयोजित सत्र्	संभागी			
			लडकिया–वर्ष 15–19	लडकियो का मिक्स ग्रुप 10–19 वर्ष	लडके–वर्ष 15–19	कुल
1.	नये सत्र्	412	4977	00	520	5497
2.	रिविजन सत्र्	78	895	00	48	943
	कुल	**490**	**5872**	**00**	**568**	**6440**

किशोर–किशोरी समूहों की मासिक बैठकों का आयोजन :

परियोजना के तहत गठित किशोर–किशोरी समूहों की नियमित मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क.स.	विवरण	आयोजित बैठक	संभागी				
			लडकिया–वर्ष 10–14	लडकिया 15–19 वर्ष	लडके–वर्ष 15–19	लडके 10–19 वर्ष	कुल
1.	मासिक बैठक	356	2639	1783	353	34	4166
	कुल	**356**	**2639**	**1783**	**353**	**34**	**4809**

यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जानकारी :

परियोजना के तहत सूचना प्रसार केन्द्र के माध्मय से यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार के मुददे, रेफरल प्रणाली, आरटीआई/एसटीआई पर जानकारी एवं परामर्श प्रदान एवं अपने ज्ञान को बढाने के लिए किशोरों के द्वारा सूचना प्रसार केन्द्र का दौरा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	सूचना प्रसार केन्द्र का नाम	किशोरी संख्या
1.	थोब, जोधपुर	37
2.	बैठवासियां, जोधपुर	31
3.	धुन्धारिया, जोधपुर	21
4.	भैरूसागर, जोधपुर	21
कुल		**110**

किशोरी बालिकाओं के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन : लडकियों की भागीदारी और उनकी प्रतिभा एवं सपनों की अभिव्यक्ति को बढावा देने के लिए किशोरों, विशेष रूप से लडकियों के लिए प्रतिवेदन अवधी के दौरान विभिन्न गतिविधियो के साथ नवीन एवं रोचक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई गई थी। जैसे : राष्ट्रीय बालिका दिवस बाल इत्यादि। इन गतिविधियों में 1760 किशोरियों, शिक्षकों एवं परियोजना दल के सदस्यों ने भाग लिया। इन गतिविधियों को जन समुदाय के करीब 1200 लोगो के द्वारा देखा गया।

खेलकूद, भाषण एवं नुक्कड नाटक :जीवन कौशल विकास क्षमता का उपयोग करने में किशोरों को सक्षम करने के लिए खेल, सार्वजनिक भाषण, कला एवं शिल्प कार्यक्रम तथा नकुक्कड नाटक इत्यादि का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में 5772 किशोरों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।

विधालय प्रबन्धन समिति : विधालयों में बनी विधालय प्रबन्धन समिति में परियोजना दल के सदस्यों के द्वारा भागीदारी करके विधालय प्रबन्धन समिति को सक्रिय बनाने हेतु प्रयास किये गये। भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है

क.स.	विवरण	बैठक संख्या	सहभागिता का विवरण				
			पुरूष	महिला	लडके	लडकियां	कुल
1.	विधालय प्रबन्धन समिति बैठक	18	146	90	13	11	260

अभिभावक शिक्षक बैठकों को मजबूती प्रदान करना : मौजूदा विधालय प्रबन्धन समिति के माध्मय से नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकों को संवेदनशील और गतिशील बनाने के लिए बैठकों में भाग लिया गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	सहभागिता का विवरण		
		अभिभावक व शिक्षक	माता–पिता	कुल
1.	अभिभावक शिक्षक बैठक	139	04	143
कुल		**139**	**04**	**143**

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का आयोजन : 3 दिवसीय गैर आवासीय वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	संभागी–लडकिया
1.	वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण	240
कुल		**240**

वित्तीय साक्षरता भ्रमण का आयोजन : वित्तीय साक्षरता के तहत बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का भ्रमण करवा कर, इन लडकियों को वित्तीय प्रबन्धन कैसे किया जाता है के बारे में जानकारी दी गई। वित्तीय साक्षरता भ्रमण में सहभागिता का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	संभागी–लडकिया
1.	वित्तीय साक्षरता भ्रमण	218
कुल		**218**

वित्तीय साक्षरता मॉडयूल पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजन :

परियोजना कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन 11–13 सितम्बर 2018 तक जयपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण में बाहरी प्रशिक्षकों सहित 26 संभागियों ने भागीदारी की। जिसमें 17 पुरूष एवं 09 महिलाएं शामिल थी।

बाल संरक्षण समितियों एवं ग्राम स्वास्थ्य,स्वचछता और पोषण समितियों का सुदृढीकरण :

परियोजना संचालित गांवो में 104 ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति, 05 ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति एवं 01 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों ने बैठकों में भागीदारी की। इस दौरान सदस्यों ने वीएलपीसीसी योजना के लिए कमजोर बच्चों करे सूचीबद्व करने के साथ की चर्चा की गई कि समुदाय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकता है। इन बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	बैठक संख्या	सहभागिता का विवरण				
			पुरूष	महिला	लडके	लडकियां	कुल
1.	गांव स्तरीय बाल संरक्षण समिति	151	1019	991	197	428	2635
2.	ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति	06	57	38	03	06	104
3.	ग्रामस्वास्थ्य,स्वच्छता व पोषण समिति	01	04	06	02	04	16
कुल		**158**	**1080**	**1035**	**202**	**438**	**2755**

यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार और बाल विवाह विषय पर प्रशिक्षण : बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समिति सदस्यों की क्षमतावर्द्वन, योजना निर्माण एवं राज्य नीति के अनुसार भूमिका के बारे में जानकारी हेतु जोधपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	प्रशिक्षण स्थान	संभागी
1.	यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार और बाल विवाह विषय पर प्रशिक्षण	जोधपुर	54
कुल			**54**

बाल संरक्षण व स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण योजना का निर्माण : बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम के तहत गांव स्तर पर बनी बाल संरक्षण समिति व स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के द्वारा गांव स्तर पर कमजोर बच्चों की पहचान की और सर्वेक्षण के आधार पर उन्होने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 27 वीएलसीपीसी के द्वारा वार्षिक योजना विकसित की गई।

किशोर मित्रवत केन्द्र का भम्रण : किशोरों के अनुकुल यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता हेतु 97 किशोरी लडकियों के द्वारा सूचना प्रसार केन्द्र का दौर करके लडकियों एवं महिलाओं के हीमाग्लोबिन को चेक करने के साथ ही बच्चों का वजन भी मापने साथ्ज्ञ ही यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यशाला का आयोजन : बाल विवाह, लिंग भेदभाव, बालिका शिक्षा, स्कूल के प्रति धारणा और लैंगिक समानता बनाने में किशोर–किशोरी समूहों की संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. स.	विवरण	ग्राम पंचायत संख्या	सहभागिता का विवरण		
			पुरूष	लडके	कुल
1.	कार्यशाला आयोजन	05	195	58	253
कुल		**05**	**195**	**58**	**253**

विधायक के साथ बैठक आयोजन :

26 दिसम्बर 2018 को ओसिया की विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा के साथ विधायकों को बाल विवाह व यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार के बारे में संवेदनशील बनाने एंव इन मुद्दों को राज्य सरकार स्तर एवं स्थानीय प्रशासन स्तर पर रखकर बालिकाओं को लाभ दिलवाने के लिए प्रयास किया जावे ताकि बालिकाओं एवं महिलाओं के मुदद्ों को भी राज्य सरकार एवं प्रशासन स्तर पर महत्व के साथ पूर्ण संवेदनीशीला एवं गम्भीरता से संचालित करवाया जा सके। विधायक महोदया ने बालिकाओं एवं महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देना का विश्वास दिलवाया।

पंचायतीराज सदस्यों का आमुखीकरण :

बाल विवाह एवं बालिकाओं तथा महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर जानकारी के माध्यम से समझ विकसित एवं पंचायतीराज में इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ लागू किये जाने के लिए 05 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आमुखीकरण में 19 जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

जागरूकता एवं सहायता अभियान :

बाल विवाह, यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार व बालिका शिक्षा पर जागरूकता फैलाने एवं सहायता करने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जोधपुर के 03 गांवों के 100 लडको एवं 48 लडकियों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान इनके द्वारा लडकियों के लिए सक्षम माहौल बनाने के लिए बैथवासिया और औसिया में 74 पुरूषों के साथ यौन प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार को लेकर प्रश्नोतरी भी आयोजित की गई थी।

कानून प्रवर्तन संस्थानों का भम्रण :

परियोजना संचालित क्षेत्र में माह, मार्च 2019 में किशोर–किशोरियां को ओसिया के पुलिस स्टेशन का भ्रमण करवाया गया। इस भ्रमण के सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	विवरण	सहभागिता विवरण		
		किशोर	किशोरी	कुल
1.	भ्रमण कार्यक्रम	1355	117	1472
कुल		**1355**	**117**	**1472**

अपेक्षित जानकारी के माध्यम से समझ सशक्तिकरण परियोजना

परियोजना का नाम	अपेक्षित जानकारी के माध्यम से समझ सशक्तिकरण
परियोजना का कार्यक्षेत्र	लूणकरणसर, जिला–बीकानेर
वितीय सहयोग	ग्लोबल गिविंग
परियोजना प्रारम्भ	जनवरी 2019
प्रतिवेदन अवधि	जनवरी 2019–मार्च 2019

परियोजना परिचय : परियोजना का नाम, इनलाइटेन टू ऐमपावर का अर्थ–अपेक्षित जानकारी देते हुए किसी बात की समझ को बढ़ाना या सशक्तिकरण करना है।इस परियोजना में स्कूल ड्रॉपआउट बालिकाओ का 2 माह का गैर आवासीय शिविर आयोजन के माध्यम से बालिकाओं को डिजिटल टेकनोलोजी के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के साथ ही कौशल विकास पद बल दिया जायेगा।

परियोजना के तहत शिविर ग्राम : राजासर भाटियान में दिनाक 18 फरवरी 2019–12 अप्रेल 2019 तक संचालित किया जा रहा है। इसके बाद इन बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ दिया जायेगा। डिजिटल टेकनोलाजी के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। इन सभी बालिकाओं को टेबलेट, इंटरनेट से जोड दिया गया हैं। इस शिविर में कुल 23 बालिकाएं जुड़ी हुई है। इन बालिकाओं को 3 समूह में विभाजित किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

- प्रथम समूह कक्षा 6–8 तक का है। इस समूह में कुल 8 बालिकाएं है।
- दूसरा समूह कक्षा 4–5 तक का है, इस समूह में कुल 9 बालिकाएं जुडी हुई है।
- तीसरा समूह कक्षा 1–2 तक का है, जिसमें कुल 6 बालिकाएं जुड़ी हुई है।

इस शिविर का शिक्षण कार्य सुबह 10–1 बजे तक चलता है। 1–2 बजे तक दोपहर का खाने का अवकाश होता है। इसके बाद पुन : 2–4 बजे तक शिक्षण कार्य चलता है। इस शिविर में 3 शिक्षिकाएं काम करती है।

सुबह के सत्र् में अंग्रेजी और हिन्दी भाषा सिखाई जाती है। भाषा में रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले एवं अंग्रेजी के शब्दकोष को सिखाये जाने के साथ हीं हिन्दी भाषा की कहानियों व विडियों के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे : गली–गली, सिम–सिम इत्यादि।

छोटे समूहों के माध्मय से अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करना और खेल–खेल के माध्यम से गणित सिखाया जाता है। सिखाये गये कार्यो का साप्ताहिक बालिकाओं का मूल्यांकन लिया जाता है, मूल्यांकन के आधार पर कमजोरियों को चिन्हित करते हुए सुधार के लिए शिक्षण कार्य करवाने का नियोजन बनाया जाता है।

सभी बालिकाओं को टेबलेट चलाना, विडियों डाउनलोड करना एवं अपलोड करना सिखाया गया है। बालिकाएं वर्कशीट के माधयम से शिक्षण कार्य करती है, फिर उसको अपलोड करती है। शिक्षण कार्य के साथ साथ शिविर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे : जीवन कौशल, पोषण, महिलाओं में एनीमिया के मुख्य कारण, आत्मरक्षा कौशल इत्यादि के बारे में जानकारी देने के साथ ही बालिकाओं को पर्वतारोही एवं पंचायतीराज के बारे में जानकारी एवं अनुभव शेयरिंग का कार्य किया गया।

इसी दौरान एक महिला सरपंच द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि किस तरह महिला सरपंच या जनप्रतिनिधि बन सकती है तथा इसमें इस प्रकार की चुनौतिया आती है, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करते है ? कैसे अपने अधिकारो का उपयोग करना और गांव व समुदाय के विकास में अपनी भूमिका निभाना, महिला जन प्रतिनिधि लड़कियों व महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कैसे कम कर सकती है तथा योजनाओं का सभी वर्ग के लोगों के कैसे लाभ दिलवाना है, विशेष कर अति गरीब परिवारो के लिए इसके सम्बन्ध में जानकारी देते हुएं पंचायतीराज की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, बासवाडा, जैसलमेर, करौली, बाडमेर
जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ

परियोजना प्रारम्भ : मार्च 2012

वितीय सहयोग : उषा इन्टरनेशनल

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- सिलाई प्रशिक्षण के लिए संदर्भ की पहचान व प्रशिक्षण तथा सिलाई में रूचि रखने वाली महिलाओं की पहचान।
- सिलाई कार्य के लिए प्रशिक्षण व प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना।
- प्रशिक्षित महिलाओं को गांव में सिलाई स्कूल चलाने के लिए तैयार करना।
- सिलाई स्कूल हेतु महिलाओं व बालिकाओं की पहचान करके सूची तैयार करना।
- प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से गांवो में सिलाई स्कूल का संचालन करना।

सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

क्र.स.	विवरण	सिलाई स्कूलों की संख्या
1.	बीकानेर–कोलायत, श्रीडूंगरगढ, बीकानेर, लूणकरणसर	44
2.	पोकरण, जैसलमेर	20
3.	श्रीगंगानगर	15
4.	हनुमानगढ	20
5.	नागौर	10
6.	बासवाडा	10
7.	जोधपुर	32
8.	करौली	10
9.	बाडमेर	19
	कुल	**180**

इस परियोजना के तहत राजस्थान के 09 जिलों में 180 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गांवो में सिलाई स्कूल चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन 180 स्कूलों के माध्यम से 3396 बालिकाओं व महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण गांव स्तर पर दिया जा रहा है। जिसमें वर्तमान में 1556 ने प्रश्क्षिण पूर्ण किया है।

सेटरलाइट सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

क्र.स.	विवरण	सिलाई स्कूलों की संख्या
1.	बीकोनर–कोलायत, श्रीडूंगरगढ, बीकानेर, लूणकरणसर	115
2.	पोकरण, जैसलमेर	80
3.	श्रीगंगानगर	77
4.	हनुमानगढ	82
5.	नागौर	38
6.	बासवाडा	32
7.	जोधपुर	53
8.	करौली	30
9.	बाडमेर	96
	कुल	**603**

603 सेटरलाइट स्कूलो में 5370 महिलाएं और लड़कियों का प्रशिक्षण शुरू किया है, जिसमें वर्तमान में 3964 ने प्रश्क्षिण पूर्ण किया है। कुल 1406 महिलाओं और लड़कियों का प्रशिक्षण नियमित चल रहा है

कशीदाकारी क्षमतावधर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रमकाकार्यक्षेत्र : ब्लॉक, कोलायत, जिला–बीकानेर

परियोजनाप्रारम्भ : अप्रेल 2016

वितीय सहयोग : कैफ (CAF)

परियोजनाप्रतिवेदनअवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

ग्रामीण क्षेत्र के दस्ताकारों की क्षमतावर्धन के उददे्श्य से उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर और कैफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन बीकानेर, जोधपुर एवं चूरू जिलों में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- 700 नए समुदाय के सदस्यों को हस्तशिल्प कार्य से जोड़ना।
- 290 कारीगरों का उद्यम कौशल विकसित करना एंव बाजार व व्यापार की मुख्यधारा में लाना।
- 380 कारीगरों को क्वालिटी कन्ट्रोल, डिजाईनिग एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मसम्मान और वित्तीय स्वत्रंता की ओर ले जाना।
- टिकाऊ आजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय स्वंत्रता की ओर ले जाना।
- व्यापार वृद्वि और शिल्प अर्थव्यवस्था से उद्यमियों को लैस करके, शहरी केन्द्रों की और बढते ग्रामीण प्रयास को नियत्रित करना और कौशल की कमी को रोकने के प्रयास करना।
- ग्रामीण शिल्प कौशल में लगे समुदायों के सामाजिक विकास में सुधार।
- प्रयासो की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण सभी कारीगरों के लिए नियमित काम सुनिश्चित करने के लिए नये मार्केटिग चैनल विकसित करना।

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

- शक्तियों और कमजोरियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। इन में से चयनित लोगो में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना विकसित की तथा डेटा संग्रह के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और कारीगरों के डिजिटल डेटाबेस तैयार।
- नये कारीगरों के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण कटाव, क्रोशिया, ब्लॉकप्रिन्ट,बंधेज एवं बुनाई व रंगाई पर किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम सें 600 नए कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।
- पुराने कारीगरों के नये उत्पादन बनाने के प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 103 कढाई कारीगरों को कौशल सुधार (स्किल अपग्रेड) के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- व्यवसायिक कौशल बढाने के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल, प्रोडक्ट डिजाईन एवं कम्पयूटर के माध्यम से उधमिता विकास के लिए 177 कारीगारों को प्रशिक्षित किया गया।

परियोजना के तहत आयोजित प्रशिक्षणों में संभागीयों का विवरण : माह,अप्रेल 2018–मार्च 2019 तक गांवों के लोगो के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रं सं	गॉव का नाम	प्रशिक्षण का विवरण	सम्भागी संख्या
1.	गोकुल	कटाव	59
2.	नाल	कटाव	107
3.	29 एएसबी (नई मण्ड़ी घड़साना)	बुनाई	31
4.	26 बीएलडी	क्रोसिया	33
5.	3 एसटीआर	क्रोसिया	30
6.	कोलासर	क्रोसिया	28
7.	उत्तरादाबास	क्रोसिया	31

8.	29 डीडब्ल्यूडी	क्रोसिया	30
9.	15–16 चक,रावतसर	क्रोसिया	20
10.	19 चक, रावतसर	क्रोसिया	31
11.	रूणियाबड़ावास	बंधेज	32
12.	दंतोर	बंधेज	106
13.	रूणिया बड़ावास	ब्लॉक प्रिटिंग	47
14.	शास्त्रीनगर	मुका	37
15.	दंतोर	मुका	52
16.	सोढी गॉव	मुका	38
17.	पाबूसर	मुका	30
18.	रूणिया बड़ावास	प्रोडक्ट डिजाईन	10
19.	2 ए.डी. (बज्जू)	प्रोडक्ट डिजाईन	13
20.	2 डीओ	प्रोडक्ट डिजाईन	18
21.	डेलीतलाई	प्रोडक्ट डिजाईन	22
22.	दिल्ली	माएक्सपोजर(दस्तकार बाजार)	04
23.	अहमदाबाद	एक्सपोजर (बंधेज, बुनाई)	03
24.	बज्जू	एंटरप्राईज ट्रेनिंग	92
25.	चाण्डासर	नेचुरल डाईंग	20
26.	19 वार्ड, रावतसर	क्वालिटी कंट्रोल	31
27.	नाल	क्वालिटी कंट्रोल	31
28.	14 ए.डी.	कटाव	30
29.	4 के.डब्बलू.एम.	कटाव	30
30.	जोधासर	कटाव	40
31.	लूणकरणसर	नेचूरल डाईग	10
32.	कावनी	बंधेज	30
33.	नाल	बंधेज	76
34.	नापासर	क्रोशिया	33
35.	सूरजडा	क्रोशिया	27
36.	बज्जू	नया उत्पाद विकास	27
37.	रायबरेली	उद्मियता	13
38.	बज्जू	बुनाई	10
39.	दिल्ली	मार्केटिग एक्सपोजर	10
40.	2 ए.डी.	मुकेश कशीदा	31
41.	7 ए.डी.	मुकेश कशीदा	36
42.	9 ए.डी.	मुकेश कशीदा	22
43.	डण्डकला	मुकेश कशीदा	40
44.	डेली तलाई	मुकेश कशीदा	17
45.	बीकानेर	गुणवता जॉच	10
46.	बज्जू	गुणवता जॉच	30
कुल			**1508**

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : कोलायत ब्लॉक, बीकानेर एवं नागौर
परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2016
वितीय सहयोग : कैफ (CAF)
परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ कृषि के लिए किसानो को प्रशिक्षित करने के उददे्श्य से उरमूल ट्रस्ट बीकानेर के द्वारा कैफ के वितीय सहयोग से कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के ब्लॉक कोलायत व नागौर जिले में किया जा रहा है। संस्था के द्वारा अप्रेल 2016 से इस कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के ब्लॉक कोलायत के 20 गांवो तथा अप्रेल 2018 से नागौर जिले के 16 गॉवो में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- मॉडल फार्म तैयार एवं विकसित करना।
- वर्षा जल संरक्षण एवं सोलर ग्रिड के लिये लोगों को प्रेरित करना ।
- 550 किसानों को टिकाऊ एवं जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित करना।
- जैविक एवं टिकाऊ खेती की व्यवहारिक जानकारी के लिए किसानो का भ्रमण करवाना।
- प्रशिक्षण के बाद फार्म पर किसानो को व्यवहारिक रूप से जैविक खेती हेतु प्रशिक्षित करना।
- जैविक खेती हेतु किसानों को मानसिक रूप से तैयार कर जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करना।

कार्य किये जा रहे कलस्टर का विवरण : कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के कोलायत व नागौर जिले के कुल 36 गांवो को 5 कलस्टर में विभाजित कर किया जा रहा। जो कि प्रकार से है :

क्र.स.	कलस्टर का नाम	गांवों की संख्या
1	चारणवाला	08
2	छिला कश्मीर	03
3	बज्जू	04
4	गिराजसर	05
5	झाड़ेली (नागौर)	16
	कुल	**36**

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

किसान क्लब बीज भंडार में किसानों के साथ बैठक :

परियोजना संचालित क्षेत्र में किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं भ्रमण से मिली जानकारी से प्रेरित होकर एवं राजस्थान की भौगोलिक बनावट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरीयॉ अधिक होना ऐसे जटिलता और विखण्ड़ता वाले गॉवो में ओरेकल के सहयोग से बीज बैंक का निर्माण किया गया। बीज बैंक तैयार करने के लिए प्रत्येक किसान के द्वारा अपनी हिस्सा राशि के रूप में 1000/–रूपये का योगदान किया है इसके साथ ही उरमूल के द्वारा परियोजना के तहत प्रति किसान के हिसाब से राशि 1000/–रूपये का योगदान करके उन्नत किस्म के ग्वार एवं मूंगफली का बीज खरीद करके अपना बीज बैंक तैयार किया। बीज बैंक में तैयार बीज हेतु किसानो के साथ एक दिवसीय बैठक कर उनके भावों को तय किया गया एवं निर्णय लिया गया कि बाजार से कम किमत में हमारे किसानों को बैंक से बीज उपलब्ध हो सकेगा एवं आगामी नियोजन तैयार किया गया।

सौर ऊर्जा–पर्यावरण की स्वच्छता : पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता को बनाये रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए तथा किसानो को प्रात्साहित करने के उद्देश्य से उरमूल संस्था, बज्जू में सौर ऊर्जा ग्रीड की स्थापना की गयी है। सौर उर्जा से प्रदूषण बिल्कुल नहीं के बराबर होता है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित भी किया जा सकता है। भारत वर्ष में अधिकांश गॉवो में निवास करते है जबकि वर्तमान समय में आधे से अधिक गॉवों में बिजली उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थित में सौर ऊर्जा को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उसके नवीनीकरण एवं पर्यावरण बचाव कर सकते है।

सौर ऊर्जा के माध्यम से निम्न फायदे प्राप्त हो रहे है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

- सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है।
- सौर ऊर्जा वातावरण के लिये भी लाभकारी है। यह वातावरण में कार्बनडाई ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती है जिससे वातवारण प्रदूषित नहीं होता है।
- सौर ऊर्जा का उपकरण कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
- सोलर पैनल को ग्रीड लाईन से जोड़कर एक मीटर अलग से लगाया जाता है जिसमें वह रीडिंग बताता है कि कितनी बिजली ग्रीड में जा रही है इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्राप्त बिजली की किमत हमें प्रदान करने लगते है।

डेयरी विकास छोटे स्तर पर : वर्तमान में 4 गाये, 4 बछड़िया व 2 बछड़े डेयरी पर है। इनके चारे की व्यवस्था, अजोला व हरा चारे की व्यवस्था उरमूल फार्म में की जा रही है। डेयरी में 4 गायों से दूध प्राप्ति हो रही है तथा साथ ही गौमूत्र, गोबर, खाद के संकलन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ दूध से सम्बन्धित प्रोडक्ट्स–घी, छाछ, दही बनाया जा रहा है। इस सब से डेयरी से मासिक आय लगभग 43,500/–रूपये होती है तथा डेयरी संचालन का मासिक व्यय लगभग 25500/–रूपये है। इस प्रकार से हर माह डेयरी से लगभग 18,000/–रूपये की आगमदनी हो रही है।

खाद ईकाई की क्षमता में वृद्धि : पशुओं से प्राप्त हो रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य पिछले दो वर्षो से किया जा रहा है। इस कार्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक सेण्ड सिंवर (खाद को छानने की मशीन)को लगाया गया है। यह मशीन हाथ से एवं बिजली से दोनो मोड पर कार्य करती है तथा साथ ही कैचुए स्वत : इसमे अलग हो जाते है।

ऑर्गनिक फर्टिलाईजर यूनिट : उरमूल फार्म हाउस व क्षेत्र के किसानों को ऑर्गनिक फर्टिलाईजर बनाने के तरीको के उद्देश्य से उरमूल परिसर, बज्जू में गाय छपरे के समीप एक यूनिट स्थापित की गई है। इस यूनिट में जीवाअमृत बनाने एव जैविक खाद बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा साथ ही साथ व्यावहारिक रूप से किसानों को डेमो के रूप में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है।

अजोला पीट : नागौर क्षेत्र के छोटे छोटे मार्जिनल महिला किसानों के खेतो व घरो में पशुपालन हेतु सप्लीमेंटरी आहार के रूप में अजोला के 53 पीट तैयार किये गये है। इन पीट से छोटे एवं बड़े पशुओं को 200 ग्राम से 1.00 किलोग्राम तक अजोला प्रतिदिन दिया जा रहा है। जिससे पशुओं में विटामिन, मिनरल्स, जिंक, केल्सियम एवं आयरन की मात्रा संतुलित हो रही है।

ड्रिप सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि : उरमूल फॉर्म में वर्तमान में 4 बीघा क्षैत्र में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाया गया है तथा साथ ही दक्षिण दिशा में 3 बीघा क्षैत्र को विकसित करने के उद्देश्य से 1000 मीटर लेजर स्प्रे पाईप को लगाने का कार्य किया जा रहा है। जिससे 3 बीघा क्षैत्र की अनुपयोगी जमीन में भी हरी सब्जिया एवं पशुचारा का उत्पाद आसानी से हो सकेगा।

मॉडल फार्म : संस्था के द्वारा उरमूल के बज्जू स्थित परिसर में एक मॉडल कृषि फार्म तैयार एवं विकसित किया गया। इस फार्म पर कम वर्षा से होने वाली फसलो एवं जैविक खेती के कार्य को क्षेत्र के किसानों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का किसान इस मॉडल कृषि फार्म को देखकर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो सके। इस मॉडल फार्म का मुख्य उददेश्य क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित करना है ताकि क्षेत्र के किसान इस फार्म से सीख कर अपने खेतो पर भी कम वर्षा से होने वाली व जैविक उर्वरक फसल को लेने के लिए अपने सोच एवं समझ को विकसित कर सके तथा साथ ही रसायनिक एवं उर्वरक से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के प्रति सजग हो सके । वर्तमान में मॉडल फार्म में जैविक उर्वरक खेती में फलदार पौधो के साथ साथ हरी सब्जियॉ उगाई गयी है।

गायो के लिये गर्मी व सर्दियो की ऋतु में हरा चारा प्रबन्धन विकास : संस्था के द्वारा उरमूल के बज्जू स्थित परिसर में डेयरी विकास को बढ़ावा एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गाय को वर्ष पर्यन्त हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल के रूप में गर्मी की ऋतु में बाजरी रिजका व सर्दियों की ऋतु में बरसिम व जोई उत्पादन का कार्य 2 बीघा जमीन में किया जा रहा है।

हरा पशुचारे की कटिंग मशीन स्थापित : पशुओं को वर्ष पर्यन्त हरा चारा उपलब्ध हो इस उद्देश्य से उरमूल सीमान्त समिति परिसर बज्जू में कृषि डेमो फार्म में पौधो के बीच बीच में खाली पड़ी जमीन पर हरा पशुआहार ऋतु के अनुसार लगाया जा रहा है । इन हरे पशु चारे को व्यवस्थित कटिंग के उद्देश्य से एक कटिंग मशीन स्थापित की गयी है।

किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन : डेजर्ट रिर्सोस सेन्टर के तकनीकी सहयोग से टिकाऊ एवं जैविक खेती व फूड प्रोसेसिंग कार्य (केर, सांगरी, कचरी, ग्वारफली, टिण्ड्सी, कुमटिया आदि) को अपने अपने क्षैत्र में कार्य प्रारम्भ व मार्केटिंग की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से परियोजना क्षैत्र (नागौर व बज्जू) की कुल 322 महिला एवं पुरूष किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में सहभागिता का विवरण निम्न प्रकार से है :

गतिविधी	दिवस	लाभार्थी संख्या		लाभार्थी समुदाय
		पुरूष	महिला	
टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण 17–19 अगस्त 2018	02	02	60	गुगरियाली, झाड़ेली,
टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण 24–26 सितम्बर 2018	03	06	60	डेह, झाड़ेली, चावली
टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण 22–23 सितम्बर 2018	04	02	20	ऑवलियासर, जालनीयासर, मीठा माजरा
टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण 28–29 दिसम्बर 2018	05	50	00	गड़ियाला, पेथड़ासर, आरडी 931, 8 डीओबीबी, राववाला, बरसलपुर, 2 बीएलएम, माणकासर, बज्जू एवं भलूरी
टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण 25–27 मार्च 2019	06	12	60	झाड़ेली, सुरपालिया, खाबड़ियाना, चावली, गुगरियाली, डेह, बरसलपुर, माणकासर, पेथड़ासर व भलूरी

किसान क्लब बीज भंडार में किसानों के साथ बैठक : किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं भ्रमण से मिली जानकारी से प्रेरित होकर बीज बैंक का निर्माण किया गया। बीज बैंक तैयार करने के लिए प्रत्येक किसान के द्वारा अपनी हिस्सा राशि के रूप में 1000/–रूपये का योगदान किया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

गतिविधी	दिवस	लाभार्थियों की संख्या		लाभार्थी समुदाय
		पुरूष	महिला	
किसान क्लब बीज भंडार प्रशिक्षण, 28–29 दिसम्बर 2018	**02**	**45**	**05**	गड़ियाला, पेथड़ासर,आरडी 931, 8 डीओबीबी, राववाला, बरसलपुर, 2 बीएलएम,माणकासर,बज्जू व भलूरी

उधमिता विकास को प्रोत्साहन : परियोजना क्षैत्र के नागौर एवं बज्जू क्षैत्र के 72 जागरूक किसानों के साथ माह मार्च 2019 में उधमित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण विशेष योग्यता वाले संदर्भ व्यक्तियों द्वारा दिलवाया गया । इस प्रशिक्षण में सुखी सब्जियॉ–कैर, सांगरी, कुमटियॉ, कचरी, टिण्ड्सी, बैर, गुण्दा आदि के संकलन एवं प्रोसेसिंग करने की विस्तार से जानकारी दी गयी । इस

प्रशिक्षण के पश्चात् किसानों ने अपने–अपने क्षैत्र में प्रायोगिक तौर पर कार्य शुरू किया है एवं आगे विस्तार की योजना तैयार की जा रही है।

सोलर वाटर हिटर स्थापित : परियोजना क्षैत्र के किसानों को फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण देने के पश्चात् नगौर एवं बज्जू क्षैत्र के किसानों द्वारा इस कार्य की शुरूवात की गयी । फूड प्रोसेसिंग कार्य में स्थानीय किसानों ने कैर की सीजन में कैर संकलन का कार्य किया गया जिनको प्रोसेस करने के उद्देश्य से नागौर में 500 लीटर क्षमता का सोलर हिटर स्थापित किया गया जिससे कैर व अन्य सामग्री को वाष्पीकरण करने में आसानी तथा साथ ही साथ सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है ।

सोलर ड्रायर : परियेजना क्षैत्र के (नागौर व बज्जू) किसानों को फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण के पश्चात् उनके द्वारा संकलित किये गये कैर को सुखाने के लिये परियोजना द्वारा 5 सोलर ड्रायर (3 नागौर व 2 बज्जू) में लगाये गये है । इनके माध्यम से प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम सामग्री को आसानी से सुखाया जा सकता है तथा बाहरी मिट्टी व अन्य हानिकारक कणों से बचाव करता है।

सामग्री एकत्रीकरण और प्रबन्धन : परियोजना में किये जा रहे कार्यो का किसानो में जागरूकता लाने के लिये छोटे छोटे रूप में वीडियो, विषयगत प्रशिक्षणो, कार्य विकास हेतु पहल करना इत्यादि इस कार्य को डीआरसी माध्यम से किया गया है, जिनमें डोमेन, वेब हॉस्टिंग, डेश बोर्ड, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट, स्टोरिजक का कार्य इत्यादि शामिल है।

बाहरी भ्रमण यात्रा :

दिनांक	यात्रा विषयक	स्थान	सीख
2–4 नवम्बर 2018	किसान स्वराज सम्मेलन	अहमदाबाद	बीज बैंक को सुचारू रूप से चलाने व ऑर्गेनिक फार्मिग को बढ़ावा व बाजार व्यवस्था के बारे में गुजरात विद्यापीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भागीदारी की।
28 सितम्बर 2018	फार्म टू मार्केट	चण्डीगढ़	उधम विकास व मूल्य श्रृंखला, फार्म टू मार्केट एवं कृषि को लाभदायक बनाने विषय पर चण्ड़ीगढ़ में अंबुजा सीमेंट फाउण्डेशन द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी।

कैमल मिल्क सर्वे कार्यक्रम

परियोजना का कार्यक्षेत्र	बीकानेर जिला
वितीय सहयोग	सहजीवन ट्रस्ट
परियोजना प्रारम्भ	जून 2018
सहयोगी संसथाएं	उरमूल सेतु संस्थान, लूणकरण्सर एवं उरमूल सीमान्त समिति, बज्जू
प्रतिवेदन अवधि	जून 2018–दिसम्बर 2018

परियोजना का संक्षिप्त परिचय : कैमल मिल्क को एक रिर्सोस मानते हुएं, पशुपालक की आजीविका के साथ जोडते हुएं आर्थिक संसाधन के रूप में परिवर्तीत करने का प्रयास है।

परियोजना के तहत की गई गतिविधियों का विवरण :

बैठक आयोजन :

प्रथम बैठक :

दिनांक 26 मार्च 2018 को सहजीवन के सहयोग से बीकानेर में कैमल मिल्क सर्वे कार्य को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहजीवन के द्वारा कैमल मिल्क कार्यक्रम का परिचय एवं वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके साथ डॉ. आर.पी.अग्रवाल, प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के द्वारा ऊटनी के दूध का दवा के रूप में उपयोग तथा इससे होने वाले फायदों के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समझाया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय ऊट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के अधिकारियों सहित 12 लोगो ने भाग लिया।

द्वितीय बैठक :

दिनांक 13 जुलाई 2018 को सहजीवन के द्वारा उरमूल ट्रस्ट परिवार की संस्थाओं उरमूल सेतु संस्थान, लूणकरणसर, एवं उरमूल सीमान्त समिति, बज्जू के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कैमल मिल्क सर्वे कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही बीकानेर जिले में सर्वे कार्य को शुरू करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उरमूल परिवार की संस्थाओं के 14 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

सहजीवन द्वारा क्षेत्र का विजिट :

दिनांक 18–22 जुलाई 2018 के दौरान सहजीवन के संचालक के द्वारा बीकानेर जिले के कोलायत, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ एव ंनोखा क्षेत्र के गांवो में विजिट करके देखा गया कि किस क्षेत्र में ज्यादा ऊट पशुपालक रहते है तथा वर्तमान में इन पशुपालकों के द्वारा कैमल मिल्क को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है।

सर्वेक्षण कार्य विवरण : कैमल मिल्क सर्वे कार्यक्रम के तहत संस्था के द्वारा राजस्थान के 04 जिले यथा बीकानेर, भीलवाडा, सिरोही एवं पाली जिले में कैमल मिल्क सर्वे कार्य को माह, जून 2018–दिसम्बर 2018 तक में किया। 04 जिले में किये गये सर्वेक्षण का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	सर्वेकृत गांवो की संख्या	सर्वेकृत पशुपालक संख्या	सर्वेकृत ऊंट संख्या
1.	बीकानेर	बीकानेर	21	2429	1921
		कोलायत	39	2882	2787
		छतरगढ	17	1653	1425
		पूगल	16	899	1046
		लूणकरणसर	67	9315	10420
		नोखा	34	3021	2492
		श्रीडूंगरगढ	44	3829	3012
2.	भीलवाडा	मांडल	33	33	528
		आसींदा	59	58	874
3.	सिरोही	पिण्डवाडा	21	68	1008
4.	पाली	शिवगंज,सिरोही, रेवदर	26	54	965
		सुमेरपुर,, बाली, रानी	26	172	681
कुल	**04**	**15**	**403**	**24413**	**27159**

ऊंट दूध आंकलन बैठकों का आयोजन : माह, जून 2018–दिसम्बर 2018 तक ऊंट दूध आंकलन के लिए 4 जिले के 15 ब्लॉक के गांवों कुल 101 बैठके बैठके आयोजित की गई। जिसमें 5402 लोगो ने अपनी सहभागिता निभाई।

दूध संकलन केन्द्र स्थापना हेतु सर्वेक्षण : ऊंट सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही बीकानेर जिले में दूध संकलन केन्द्र स्थापित करने हेतु नजदीकी बी.एम.सी. को भी देखा। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

क्र.स.	दूध संकलन केन्द्र	नजदीकी बी. एम.सी.	केन्द्र से नजदीकी बी.एम.सी. की दूरी	गांवो की संख्या	ऊंटों की संख्या	सम्भावित दूध उपलब्धता प्रतिदिन
1.	750 आर.डी.	कोलायत	50 कि.मी.	14	1145	945 लीटर
2.	बज्जू तेजपुरा	कोलायत	10 कि.मी.	06	1010	780 लीटर
3.	बीकमपुर	कोलायत	25 कि.मी.	20	1883	1375 लीटर
4.	नांदडा	कोलायत	45 कि.मी.	19	2340	1725 लीटर
5.	बाप	कोलायत	30 कि.मी.	11	1820	1390 लीटर
6.	उदासर	नोखा	30 कि.मी.	08	1205	603 लीटर
7.	केला	छतरगढ	35 कि.मी.	11	1660	830 लीटर
8.	बडेरण	लूणकरणसर	30 कि.मी.	06	690	345 लीटर
9.	केसरदेसर बो.	बीकानेर	25 कि.मी.	10	905	453 लीटर
10.	कालू	लूणकरणसर	20 कि.मी.	13	1820	910 लीटर
कुल				**118**	**14480**	**9355**

स्वास्थ्य एवं पोषण पहल कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम : स्वास्थ्य एवं पोषण पहल
कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : बीकानेर
वितीय सहयोग : अशोका इनोवेटर्स
परियोजना प्रारम्भ : अगस्त 2017
प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2018–मार्च 2019

परियोजना परिचय : उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के द्वारा बीकानेर जिले राजकीय आदर्श विधालयों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने की प्रकिया के तहत अशोका इनोवेटर्स के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन अगस्त 2017 से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के चयनित विधालयों के बच्चों का हीमोग्लोबीन, वजन, लम्बाई, एवं बांह के दायरे इत्यादि की जांच कर अशोका इनोवेटर्स के द्वारा प्रदत नरिशिंग स्कूल्स सॉफटवेयर में डाटा अपडेट किया जाता है।

परियोजना का उद्देश्य :

- स्कूलों मे बच्चों के पोषण स्तर की जॉच कर स्थिति में सुधार लाना।
- छात्रों की शिक्षा, पोषण स्थिति, आहार एवं स्वास्थ्य के स्तर का पता करना।
- स्कूलों मे मिडे मील योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- बच्चों के खान–पान के स्तर की जानकारी प्राप्त करना।
- बच्चों में खान–पान एव स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाना।

बेसलाईन किये गये स्कूलों का विवरण :

क.स.	स्कूल का नाम	बच्चों का विवरण		
		लडके	लडकिया	कुल
1.	रा.आ.उ.मा. वि. ,कुचोर अगुणी	53	65	118
2.	रा.आ.उ.मा. वि. ,सारुडा	59	57	116
3.	रा.आ.उ.मा. वि. ,कक्कू	55	49	104
4.	रा.आ.उ.मा. वि. ,गजनेर	50	02	52
5.	रा.आ.उ.मा. वि. ,रामसरा	45	54	99
6.	रा.आ.उ.मा. वि. ,खाजूवाला	54	49	103
7.	रा.आ.उ.मा. वि. ,कालूवाला	54	55	99
8.	रा.आ.उ.मा. वि. ,पूगल	51	50	101
9.	रा.आ.उ.मा. वि. ,बन्घडा	57	58	108
	कुल	**478**	**439**	**907**

दुबारा सर्वे किये गये स्कूलों का विवरण :

क.स.	स्कूल का नाम	बच्चों का विवरण		
		लडके	लडकिया	कुल
1.	रा.आ.उ.मा. वि. ,कालू	60	60	120
2.	रा.आ.उ.मा. वि. ,लूनकरणसर	52	15	67
3.	रा.आ.उ.मा. वि. खियेरा	57	53	110
4.	रा.आ.उ.मा. वि. ,मूण्डसर	36	56	92
	कुल	**205**	**184**	**389**

मिडलाइन सर्वे किये गये स्कूलों का विवरण :

क.स.	स्कूल का नाम	बच्चों का विवरण		
		लडके	लडकिया	कुल
1.	रा.आ.उ.मा. वि. ,दुलचासर	19	00	19
	कुल	**19**	**00**	**19**

गर्ल्स नोट ब्राइड्स्–राजस्थान

प्रतिवेदन : अगस्त 2018–मार्च 2019

कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय :

गर्ल्स नोट ब्राइडस् 95 देशों के 1000 से अधिक सामाजिक संगठन, जो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए वचनबद्व हैं की ग्लोबल साझेदारी का संगठन है। इसकी स्थापना सितम्बर 2011 में हुई। गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान में दिसम्बर 2017 में जयपुर, राजस्थान में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान से बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से समाप्त करने के साथ ही बाल विवाह रोकथाम के लिए बालिकाओं की आवाज को बुलंद करना है। इसके अलावा बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास के अवसरों के लिए जागरूक करना ळें

बालिकाओं की राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास कार्यशाला का आयोजन :

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान में 10–11 अक्टूबर 2018 को राजस्थान के 11 जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाओं की समूहों से जुड़ी बालिकाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, दाता संस्थाओं व सरकार के प्रतिनिधियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना, बालिकाओं द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यो के अनुभवों का आदान–प्रदान, आदि पर चर्चा कर नियोजन बनाना था।

इस कार्यशाला में आर.के.सी.एल. आर.एस.सी.आई.टी, आई.सी.आई.सी.आई, आर.एस.एल.डी.सी. इत्यादि संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बालिकाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इसके बाद श्रीमती रोली सिंह, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, श्रीमती राजेश यादव, पूर्व आई.ए.एस.अधिकारी, विशाखा जयपुर से श्री भरत भाई, उरमूल ट्रस्ट के श्री अरविन्द ओझा इत्यादि ने बालिकाओं से रूबरू होकर बालिकाओं के अनुभव व ग्राम स्तरीय समस्याओं को सुनकर समाधान का विश्वास दिलाय इस दो दिवसीय कार्यशाला में राजस्थान के विभिन्न जिलों से चयनित 90 संभागीयों ने भाग लिया।

गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान शुभारम्भ समारोह :

गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान का भव्य शुभारम्भ समारोह 17 दिसम्बर 2018 को जैन नासियान ऑडिटोरियम, जयपुर में गर्ल्स नोट ब्राइड्स की ग्लोबल मुखिया लंदन से आई श्रीमती लक्ष्मी सुन्दर, विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व राजस्थान के विभिन्न जिलों से आई बालिकाओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

शुभारम्भ समारोह के प्रारम्भ में उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के सचिव श्री अरविंद ओझा ने गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान के उद्देश्य, पिछले एक वर्ष का सफर व आगामी नियोजन के बारे में बताया। इसके बाद समारोह में उपस्थित गर्ल्स नोट ब्राइड्स लंदन की श्रीमती लक्ष्मी सुन्दरम, गर्ल्स नोट ब्राइड्स दिल्ली की श्रीमती शिप्रा झा, यूनिसेफ की राज्य प्रमुख ईजाबेल, यू.एन.डी.पी. के प्रतिनिधियों ने बालिकाओं के अनुभव सुने तथा राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने में गर्ल्स नोट ब्राइड्स संगठन का सहयोग करने का विश्वास दिलाया। शुभारम्भ समारोह में 250 से अधिक संभागीयों ने भाग लिया।

गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान की राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्लानिंग बैठक :

गर्ल्स नोट ब्राइड्स राजस्थान के सदस्यों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्लानिंग बैठक राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर में जीएनबी दिल्ली की दिव्या मुकुंद की उपस्थिति में 12–13 फरवरी 2019 को आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछली गतिविधियों का मुल्यांकन, चुनौतियों व खतरों पर चर्चा, जीएनबी राजस्थान के सदस्यों की भूमिका, संगठन का प्रारूप व नियमों पर चर्चा करना एवं आगामी प्लानिंग व बजट बनाना था। दो दिवसीय बैठक में 25 संभागीयों ने भाग लिया।

आशा किरण केन्द्र संचालन कार्यक्रम

परियोजना का कार्यक्षेत्र	बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं नागौर जिला
वितीय सहयोग	आर.आई.एल.एम (CAF)
परियोजना प्रारम्भ	अप्रेल 2017
प्रतिवेदन अवधि	अप्रेल 2018–जुलाई 2018

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- शिक्षा से वंचित 06 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण करना एवं सरकारी नियमित विधालय जोडने हेतु केन्द्र के माध्यम से तैयार करना।
- विधालय में अध्ययनरत कमजोर एवं ड्रापआउट बच्चों का चिन्हिकरण करना , विधालय से जोडना एवं कमजोर बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु सेन्टर के माध्यम से नियमित शिक्षा के लिए तैयार करना।
- शहरी झुग्गी झोपडी इलाकों में रहने वाले बालक–बालिकाओं को आशा किरण केन्द्र के माध्यम से उनके नजदीक सरकारी विधालय से जोड़ना।
- शिक्षा से वंचित, कमजोर एवं ड्रापआऊट बच्चो के आवास के नजदीक आशा किरण केन्द्र का संचालन कर नियमित विधालय से जुडाव के लिए तैयार करना।

कार्यक्रम के तहत संचालित किये गये आशा किरण केन्द्रों का ब्लॉक वार विवरण :

क.स.	जिला	ब्लॉक	आशा किरण केन्दों की संख्या
1.	बीकानेर	बीकानेर ग्रामीण	02
		बीकानेर शहर	03
		श्रीडूंगरगढ	10
		श्रीकोलायत	11
		लूणकरणसर	11
2.	चुरू	सरदारशहर	02
3.	जोधपुर	फलौदी	06
4.	जेसलमेर	जेसलमेर	05
5.	नागौर	जायल	03
कुल	**05 जिले**	**09 ब्लॉक**	**53**

उपरोक्त विवरण के अनुसार राजस्थान के 5 जिले के 09 ब्लॉक में कुल 53 आशा किरण केन्द्रों का संचालन संस्था के द्वारा अप्रेल 2017 से नियमित रूप से संचालन किया गया है। इस प्रकार से संचालित 53 आशा किरण केन्द्रों में से 03 केन्द्र बीकानेर शहर में संचालित थे तथा शेष 50 केन्द्र जिलों के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में संचालन किये है।

आशा किरण केन्द्रो पर ब्लॉक वार नामांकित बच्चों का विवरण :

क.स.	जिला	ब्लॉक	आशा किरण सेन्टर की संख्या	नामांकित बच्चो की संख्या
1.	बीकानेर	बीकानेर ग्रमीण	02	207
		बीकानेर शहर	03	189
		श्रीडूँगरगढ	10	264
		कोलायत	11	434
		लूणकरणसर	09	326
2.	चुरू	सरदारशहर	04	112
3.	जोधपुर	फलौदी	06	250
4.	जेसलमेर	जेसलमेर	05	200
5.	नागोर	जायल	03	214
कुल	**05 जिले**	**09 ब्लॉक**	**53**	**2196**

उपरोक्त विवरण के अनुसार राजस्थान के 5 जिलों के 09 ब्लॉक में कुल 53 आशा किरण केन्द्र संचालित किये है। इन 53 केन्द्रों पर कुल 2196 बच्चे नामांकित थे। इस प्रकार से नियमित रूप से निर्धारित समय पर केन्द्रों का संचालन किया जाकर बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करते हुएं और अभिभावकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके इन सभी 2196 बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित नियमित शिक्षा व्यवस्था के साथ जुडाव के लिए संस्था के द्वारा प्रयास किया गया है ताकि सभी बच्चे नियमित शिक्षा व्यवस्था से जुडकर नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएं।

सरकारी एवं गैर सरकारी विधालय में ब्लॉक वार नामांकित करवाएं गये बच्चों का विवरण :

क्र.स.	जिला	ब्लॉक	आशा किरण सेन्टर की संख्या	आशा किरण सेन्टर पर नामांकित बच्चो की संख्या	विधालय में ब्लॉक वार नामांकित बच्चों की संख्या
1.	बीकानेर	बीकानेर ग्रामीण	02	207	193
		बीकानेर शहर	03	189	90
		श्रीडूँगरगढ	10	264	202
		कोलायत	11	434	345
		लूणकरणसर	09	326	277
2.	चुरू	सरदारशहर	04	112	88
3.	जोधपुर	फलौदी	06	250	180
4.	जेसलमेर	जेसलमेर	05	200	189
5.	नागोर	जायल	03	214	173
कुल	**05 जिले**	**09 ब्लॉक**	**53**	**2196**	**1737**

उपरोक्त केन्द्रो का संचालन दिसम्बर 2017 तक किया गया था। माह, अप्रेल 2018–जुलाई 2018 तक में कैफ इण्डिया प्रतिनिधि के द्वारा नामांकित नहीं हो पाएं 459 बच्चों में से 90 बच्चों के अभिभवाको एवं बच्चों से मुलाकात करके नियमित विधालय में नामांकित नहीं होने के बारे में जानकारी हासिल की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

अप्रेल 2018 में कैफ प्रतिनिधि के द्वारा कोलायत, नागौर, श्री डूगरगढ एवं बीकानेर शहर सहित चार ब्लॉक में कुल 90 बच्चों एवं उनके अभिभावको से साक्षात्कार लिया गया। जिसके तहत यह जानने का प्रयास किया गया कि बच्चे किस कारण से नियमित विधालय नही जा पाएं। जिसमें मुख्य रूप से निम्न कारण सामने आएं जो कि निम्न प्रकार से है :

1. परिवार का पलायन होने के कारण बच्चें नियमित स्कूल से नही जुड़ पाए।
2. आशा किरण केन्द्र से नियमित विधालयों की दूरी बहुत ज्यादा दूर होने के कारण बच्चों के विधालय आने एवं जाने में परेशानी।
3. नियमित विधालयों में नामांकित बच्चों को नियमित विद्यालय में बनाये रखना क्योकि बच्चों के परिवार कि सोच है कि जो योजना या परियोजना जो संचालन करता है उसकी समस्त जिम्मेदारी है।
4. जिन बच्चों के घर विद्यालय से ज्यादा दूरी पर है उनका नियमित विद्यालय आना आज भी चुनौती है क्योकि गरीब परिवार से होने के कारण टैक्सी का किराया वहन नही कर सकते है।
5. विशेषकर कक्षा पॉच उतीर्ण कर चुकी बालिकाओं को कक्षा छ :में प्रवेश करवाना व नियमित शिक्षा से जोडे रखना।
6. बड़ी आयु वर्ग के बच्चों का गरीबी के कारण मजदूरी पर जाना एवं बरसात के मौसम में बच्चों से खेती कार्य मे लगा लेना।
7. अनियमित बच्चों को विधालय में नियमित रूप से लाना।

ई–शक्ति परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र	बीकानेर जिले के सभी ब्लॉक श्रीडूंगरगढ, लूणकरणसर, नोखा, श्रीकोलायत खाजूवाला, पॉचू एवं बीकानेर ग्रामीण
वितीय सहयोग	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
प्रतिवेदन अवधि	अप्रेल 2018–जुलाई 2018

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य :

ई–शक्ति परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के डिजीटिलाइजेशन का कार्य किया जाना है। इस परियोजना के तहत नाबार्ड के द्वारा राजस्थान के 2 जिले बीकानेर एवं झालावाड में स्वंय सहायता समूहों का डिजीटिलाइजेशन करने का निर्णय लिया गया है। यह गर्व की बात है कि राजस्थान के 2 जिलें में से एक हमारा जिला बीकानेर भी नाबार्ड के द्वारा डिजीटिलाइजेशन के तहत शामिल किया गया है। बीकानेर जिले में स्वंय सहायता समूहों के डिजीटिलाइजेशन का कार्य उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर को सौंपा गया। जिसके तहत पूरे बीकानेर जिले के लगभग 5000 स्वंय सहायता समूहों का डिजीटिलाइजेशन किया जाना था।

परियोजना के तहत स्वय सहायता समूह के डाटा संकलन विवरण :

क स	ब्लाक विवरण	स्वय सहायता समूह की संख्या	एनिमेटर्स संख्या
1.	बीकानेर ग्रामीण	735	24
2.	लूणकरणसर	845	28
3.	नोखा	397	14
4.	श्रीकोलायत	797	26
5.	खाजूवाला	445	15
6.	श्रीडूंगरगढ	670	22
7.	पॉचू	276	09
कुल		**4165**	**138**

परियोजना के तहत डाटा अपडेशन के तहत किये गये कार्य का विवरण :

माह,अप्रेल 2018–जुलाई 2018 तक परियोजना के तहत कार्यरत 138 ऐनीमेटर्स के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के डाटा अपडेशन का कार्य किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क. स.	विवरण	अप्रेल 2018–जुलाई 2018
1.	डाटा संकलित–**कुल समूह**	4,165
2.	डाटा संकलित समूहों में–**कुल सदस्य**	41,260
3.	डाटा संकलित समूहों की–**कुल बचत**	19.00.38.980
4.	डाटा संकलित समूहों में से–**कुल ऋण प्राप्त समूह अब तक**	880
5.	डाटा संकलित समूहों में आपसी लेनदेन करने वाले–**कुल सदस्य**	3211
6.	डाटा संकलित समूहों में आपसी लेनदेन की–**कुल राशि**	1,09,17,502
7.	डाटा संकलित समूहों में से–ऋण के लिए आवेदन करने वाले–**कुल समूह**	99

परियोजना के तहत कार्यरत ऐनीमेटर्स : बीकानेर जिले में परियोजना के तहत वर्तमान में 138 एनिमेटर्स कार्यरत है जो कि परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के डाटा अपडेशन का कार्य अप्रेल 2018 से निरन्तर एवं नियमित रूप से कर रहे है

स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिकेंज परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र	बीकानेर जिले के ब्लॉक श्रीडूंगरगढ व बीकानेर
वितीय सहयोग	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
परियोजना प्रारम्भ	फरवरी 2013
प्रतिवेदन अवधि	अप्रेल 2018 –जुलाई 2018

परियोजना परिचय :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से बीकानेर जिले के बीकानेर व श्री डूँगरगढ़ विकासखण्ड में 300 स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्य फरवरी 2013 से संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत नये स्वयं सहायता समूह बनाने,समूहों के बैक खाते खुलवाने व ऋण से संबद्व करने ,समूहो की ऑडिट रेटिग करना, गठित समूहो के सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक के निजी खाते खुलवाने, माइक्रो इंश्योरेस/स्वावलम्बन (पेन्शन योजना) से जोडना, समूहो का पोषण, लेखा–जोखा रखने से सम्बन्धित कार्य, बहीखाता व रिकार्ड संधारण के बारे में समूह के सदस्यों व लीडर्स इत्यादि को प्रशिक्षित करना है ।

परियोजना के तहत अब तक गठित कुल समूहों का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	सदस्य संख्या
1.	बीकानेर	108	1450
2.	श्रीडूंगरगढ	145	1583
कुल		**253**	**3033**

परियोजना के तहत गठित समूहो का समूह प्रबन्धन प्रशिक्षण का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	सदस्य संख्या
1.	बीकानेर	07	17
2.	श्रीडूंगरगढ	01	05
कुल		**08**	**12**

परियोजना के तहत अब तक गठित समूहों की बचत विवरण :

परियोजना शुरूआत से लेकर माह, जुलाई 2018 तक कुल गठित स्वयं सहायता समूह 253 है। इन स्वयं सहायता समूहों की माह, जुलाई 2018 तक की कुल बचत राशि 90,24,740 रूपये है। इस बचत राशि का उपयोग समूहों के द्वारा आपसी लेनदेन के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप सर्व सहमति से उपयोग किया जा रहा है।

समूह की नियमित मासिक बैठक :

परियोजना के तहत गठित सभी समूहों की नियमित रूप से मासिक बैठको का आयोजन किया जाता है । समूहो की इन मासिक बैठको में अब तक मुख्य रूप से निम्न विषयो/मुद्दो पर चर्चा की गई जो कि निम्न प्रकार से है :

- समूह की नियमित बैठक व मासिक बचत के बारे में जानकारी व चर्चा।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी।
- समूह के पदाधिकारियो व सदस्यो की जिम्मेदारी ,कर्तव्य एवं उतरदायित्व के बारे में चर्चा।
- बैंक में खाता खुलवाने के बारे में जानकारी व चर्चा।
- आपसी लेनदेन एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी व चर्चा।
- समूह का रिकार्ड रखना एवं रिकार्ड संधारण के बारे में जानकारी।
- पशु स्वास्थ्य शिविर एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- मौसमी बीमारियों के बारे मे जानकारी एवं विचार विमर्श।
- परियोजना के तहत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- बैंक से लेनदेन व बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी एवं चर्चा।